मंगलवार,
१७ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर प्रदेश में नलकुंओं के परीक्षण

*८००. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नलकुंओं के परीक्षणों से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह दूसरे राज्यों को बताया जायेगा जिस से कि वे भी उस से लाभ उठा सकें; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है कि ऐसे ही और अन्य लाभदायक परीक्षणों से प्राप्त अनुभव के आधार पर लिखी गई पुस्तिकायें जनता में परिचालित करने तथा उन का परस्पर विनिमय के प्रबन्ध करने के प्रबन्ध किये जायें ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) जी हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में कितने कुंएं खोदे गये और उन पर कितना खर्च हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : खर्च तथा कुंओं की संख्या दोनों बातें बतानी कठिन हैं परन्तु मैं यह तो कह सकता हूं कि किसी भी राज्य में इतने नल कुंएं नहीं हैं जितने कि उत्तर प्रदेश में हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन कुंओं के खोदने पर जो खर्च होता है, वह इन से होने वाले लाभ के अनुकूल है और क्या कुछ कुंएं ऐसे भी हैं जिन से लाभ नहीं उठाया जा सका ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक नल-कुंओं का सम्बन्ध है, अंधेरे में ढेला फेंकने वाली बात है और प्रत्येक कुंएं के सम्बन्ध में उस के सफल होने का विश्वास नहीं होता । पानी तो भूमि के नीचे है और यह पक्का नहीं पता होता कि कितना पानी निकलेगा । कई बार काफी पानी निकल आता है और कई बार नहीं भी निकलता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय यहां विवाद करने और अपनी राय प्रकट करने का नहीं है ।

श्री आल्तेकर : क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की भूमि सम्बन्धी पड़ताल की है जहां नलकुंएं सफलतापूर्वक खोदे जा सकते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मंशा यह है कि मालूम किया जाय कि पानी निकल सकता है या नहीं । हमारा विचार

शीघ्र ही ३२० नलकुंएं खोदने का है ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने प्रतिशत नलकुंओं से पानी निकला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक नल कुंआं पानी के लिये ही खोदा जाता है सिवाए पंजाब में कुंछ कुओं के जहां हम पानी को सुखाना चाहते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : उत्तर प्रदेश में सब से अधिक नलकुंऐं होने के छिपे कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : दूरदर्शिता ।

पण्डित डी० एन० तिवारी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि भूमि के नीचे से पानी निकालने के फलस्वरूप अन्दर का तल सूख जाने की सम्भावना है ?

श्री किदवई : अधिक नहीं ।

डा० पी० एस० देशमुख : सम्भव है कि कुछ मामलों में ऐसा होता हो, परन्तु साधारणतया नलकुंएं खोदने से पहले सावधानी बरती जाती है ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अनुभव से यह साबित हुआ है कि किसानों के लिये अपने नलकुंएं लगाना लाभदायक रहता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो इस बात पर निर्भर है कि वह देश के किस भाग में रहता है । कुछ भाग नलकुंओं के लिये उपयुक्त हैं और कुछ नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान हैं जिन के अपने नलकुंएं हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : उत्तर प्रदेश के अलावा किन किन राज्यों में ट्यूब वैल इस साल लगाये गये हैं और कितने ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेम्बर साहब के सूबे में भी लगाये गये हैं और कुछ और लगने वाले हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : कितने लगाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितने नलकुंएं बाद में बन्द हो गये ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु सम्भवत: कुछ मामलों में ऐसा हुआ है ।

श्री धुलेकर : इस बात को देखते हुए कि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन के सम्बन्ध में पुस्तक के रूप में कोई सूचना इकट्ठी की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पुस्तक के रूप में नहीं परन्तु फाइलों में यह सूचना उपलब्ध है ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश के कमी वाले क्षेत्रों में नलकुंएं खोदने के परीक्षण किये गये है और यदि हां, तो वे सफल हुए ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी प्रारम्भ नहीं हुए । ऐसा करने का विचार तो है ।

श्री रघवय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पानी वाला महाराज की सेवाओं से जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उत्तर प्रदेश के परीक्षणों से अधिक उपयोगी तथा सस्ता नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इस प्रश्न से तो उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर के आधार पर क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि नलकुंएं खोदने के सम्बन्ध में किये गये परीक्षणों की सूचना विभिन्न राज्यों तक पहुंचाने का क्या ढंग अपनाया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक राज्य विशेषकर उत्तर भारत के राज्य, नलकुंओं तक विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें खोदने के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हैं । मेरे विचार में हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम कुछ सूचना दें ।

श्री किदवई : मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में काफी साहित्य मिलता है ।

सेविंग बैंकों के लेखे और कैश सर्टीफिकेट्स (प्रमाणीकरण)

*८०३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सेविंग बैंक लेखों तथा कैश सर्टिफिकेट सम्बन्धी दावों के सम्बन्ध में जो बातचीत चल रही थी वह हाल ही में टूट गई है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार विस्थापित दावेदारों को, पाकिस्तान के बैंकों में उन का रुपया जल्दी दिलवाने के सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ग) पाकिस्तान पर भारत के विस्थापित लोगों के कुल कितने रुपये के दावे हैं और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा भारत से कुल कितनी राशि का दावा किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या भारत सरकार का विचार है कि भारत में विस्थापितों को, जिन्हों ने उपरोक्त दावे किये हैं, अन्तरिम समय के लिये कोई सहायता दी जाये और यदि हां, तो कैसे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) डाकखानों के सेविंग बैंक लेखों तथा सर्टिफिकेटों जो पाकिस्तान से भारत को स्थानान्तरित किये जाने हैं, के सम्बन्ध में करार के अनुसार रजिस्टर किये गये दावों की कुल राशि ३ करोड़ रुपये के लगभग है । भारत से पाकिस्तान को स्थानान्तरित किये जाने वाले ऐसे लेखों तथा सर्टिफिकेटों के सम्बन्ध में दावे चूंकि पाकिस्तान में किये गये हैं, इसलिये उस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं मिलते ।

(घ) करार के अनुसार पाकिस्तान से भारत को स्थानान्तरित किये जाने वाले इन लेखों तथा सर्टिफिकेटों के ऐसे दावेदारों को जिन के जीवन यापन का और कोई साधन नहीं, अन्तरिम सहायता देने की योजना भारत सरकार ने पहले ही लागू कर दी है । इस योजना के अनुसार ६ महीने तक ७५) से १००) तक, या कुल राशि का आधा भाग, ६ मासिक किश्तों में —दोनों में से जो भी कम हो— दिया जाता है । भारत सरकार ने इस योजना के अनुसार रुपया देना प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या पाकिस्तान के साथ अभी तक बातचीत की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : इस से तो पुनर्वास मंत्रालय का सम्बन्ध है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं ने तो पुनर्वास मंत्रालय को निर्देश किया था परन्तु यह इस मंत्रालय को भेज दिया गया ।

श्री राज बहादुर : मैं यह कह सकता हूं कि चेष्टा की जा रही है कि जमा कराये गये रुपये का कुछ भाग मिल जाये और लेखे स्थानान्तरित कर दिये जायें ।

श्री गिडवानी : पाकिस्तान पर जितना बाकी है और जो राशि हम ने देनी है, उन दोनों में कितना अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : यह बताना सम्भव नहीं। जैसा कि मैं ने कहा हमारे पास तो उसी राशि की सूचना है जिस के दावे यहां किये गये हैं और मैं यह बता सकता हूं कि अब तक कुल कितने दावे किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर बताना सम्भव नहीं। हमें वह मालूम ही नहीं :

भारतीय लाख अनुसंधान सस्था

*८०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय लाख अनुसन्धान संस्था कब स्थापित की गई थी और अब तक इस पर कितना खर्च हुआ है ?

(ख) इस संस्था में कौन कौन से मुख्य अनुसन्धान किये गये हैं और उन में से कौन से सफल हुए हैं ?

(ग) इन परीक्षणों का फल, लाख उगाने वालों को बताने के लिये क्या कार्य-वाहियां की जा रही हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारतीय लाख अनुसन्धान संस्था १९२५ में लाख अनुसन्धान संस्था के अधीन स्थापित की गई थी। इस संस्था पर १९३१ से जब कि यह भारतीय लाख उपकर समिति के नियंत्रण में आई, मार्च, १९५२ तक ४०,५१,०८१ रुपया खर्च हुआ है।

(ख) व्यवहार्य पहलू के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य किये गये हैं :

(१) कटि सम्बन्धी

कूपे (Coupe) पद्धति द्वारा लाख की खेती का उत्तम ढंग, इस बात का निर्णय करना कि लाख के कीड़े कितने समय में अपने कोपों से निकलेंगे, जिन पेड़ों पर लाख के कीड़े बैठते हैं, उन के पत्ते कृत्रिम ढंग से काम करना और उन की शाखाओं आदि को छांटना, अधिक अच्छे औज़ारों का प्रयोग और ऐसे कीड़ों को रोकना जो लाख को हानि पहुंचाते हैं।

(२) रासायनिक

"ओटोक्लेव" (Autoclave) ढंग द्वारा चपड़ा बनाना, लकड़ी आदि के रंगों, मोमजामे और मिट्टी के बरतनों पर चपड़े का लेप, लाख को धोने का अधिक अच्छा ढंग, मुहर लगाने की धोई हुई लाख कार्बन टाइप मोलडिड रिज़स्टर्स, लाख के ढांचे, वारनिशें, प्लास्टिक और जोड़ने वाले पदार्थ इत्यादि ।

(ग) परिणामों की सूचनायें राज्य सरकारों के सहयोग से दो मुख्य योजनाओं द्वारा दी जाती हैं अर्थात् गहन प्रदर्शन योजना तथा लाख की कृषि के विस्तार की योजना।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जो लाख उगाई गई उस के गुण प्रकार तथा मात्रा में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो कितना ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ब्यौरेवार सूचना नहीं है परन्तु मेरा विचार है कि सुधार हुआ है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि भारतीय उद्योग में, इस संस्था के अनुसंधान के फलस्वरूप कितनी लाख की खपत हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या में यह जान सकती हूं कि गुण प्रकार तथा मात्रा में वृद्धि इस समय चालू मूल्यों के अनुकूल है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पूर्वसूचना के बिना इस का उत्तर नहीं दे सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि मूल्य गिर गये हैं क्योंकि अब अमरीका ने लाख खरीदना बन्द कर दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह ठीक बात है । मांग काफी कम हो गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ? क्या इस का कारण यह है कि लाख खराब है या किसी अन्य कारण से मांग गिर गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं सभी कारण तो नहीं गिनवा सकता, परन्तु इस स्थिति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस सम्बन्ध में सूचना पूछनी चाहिये कि क्या अनुसन्धान किया गया है क्योंकि प्रश्न उसी के सम्बन्ध में है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि लाख के कीड़ों की नस्ल सुधारने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विचार है किये प्रयत्न तो सदा ही किये जाते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : लाख रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सम्बन्ध में अब तक जितना खर्च हुआ है, उतना उस के कार्य से देश को लाभ हुआ है या नहीं ?

श्री किदवई : यह हमेशा जरूरी नहीं है ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं तो समझता हूं कि देश को काफी लाभ हुआ है ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार देश में लाख के उपयोग के विकास के लिये कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कभी सरकार इस संस्था में किये गये कार्य का पुनरीक्षण करती है ? यदि हां, तो किन पहलुओं का ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस संस्था में किये जा रहे अनुसन्धान कार्य का मूल्यांकन किया है ।

श्री गोपाल राव : जी नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस अनुसन्धान संस्था के कार्य का पुनरीक्षण किया है या कर रही है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां ।

श्री जयपाल सिंह : कीट विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि लाख के कीड़ों में क्या वृद्धि हुई है और यह वृद्धि कहां तक कूपे (coupe) प्रणाली द्वारा की गई, जिस की चर्चा माननीय मंत्री ने की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहता हूं ।

श्री वैलायुधन : लाख अनुसन्धान संस्था पर खर्च किये गये लग भग ४० लाख रुपये में से सरकार की ओर से दिया गया धन कितना था ? और क्या लाख उत्पादकों से कोई कर लिये जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम भारतीय लाख उपकर अधिनियम के अधीन उपकर लगाते हैं जिस से सरकार को आय होती है ।

श्री धुलेकर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विन्ध्य प्रदेश में लाख का बहुत महत्व है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि वहां के अनुसन्धान करने वाले भी उपरोक्त संस्था के काम से सम्बद्ध थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य भी ऐसे बहुत से कार्य करते हैं, मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में विंध्य प्रदेश ने कहां तक प्रगति

हैं । जो भी हो, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं आया ।

श्री जसानी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या लाख के मूल्य इसलिये गिर गये हैं कि दूसरे देश इसे एकाधिकार के आधार पर खरीदने लगे हैं । और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न अनुसन्धान के बारे में है, मूल्यों के सम्बन्ध में नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : इस इन्स्टीट्यूट ने अब तक जितनी खोजें की हैं उन खोजों का लाख के उत्पादन में कोई व्यापक उपयोग हो रहा है या नहीं ?

श्री किदवई : मैं आनरेबिल मैम्बर की तवज्जह दिलाऊंगा कि जो रिपोर्ट हर साल छपती है अगर वह एक मर्तबा उसे पढ़ लें तो उन को उन सब सवालात का जवाब मिल जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उन रिपोर्टों के आधार पर यह पता लगता है कि उन की खोजों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री किदवई : अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिसर्च की जाये और जो चीज़ हम उस से निकालना चाहते हों वह पैदा न हो। रिसर्च के मानी हैं कि कभी कामयाबी हो और कभी नाकामयाबी हो ।

महालक्ष्मी शूगर मिल्स का पेप्सू से ले जाया जाना

*८०७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हमारा (पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ) की महालक्ष्मी शूगर मिल्स को अपनी मशीनें वहां से उठा कर उत्तर प्रदेश में इक्कबालपुर ले जाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) इस के क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि हमीरा की इस मिल के आस पास के क्षेत्र में इतना अधिक गन्ना उगाया जाता है कि मिल उसे पेर नहीं सकती और इस से इस क्षेत्र के गन्ना उगाने वाले बहुत परेशान हैं;

(घ) क्या सरकार को जालंधर जिले, जिस के बीच में यह मिल स्थित है, के लोगों ने पंजाब गवर्नर की मार्फत एक अभ्यावेदन भेजा है जिस में कहा गया है कि सारे गन्ने को पेरने के लिये एक और चीनी मिल स्थापित की जाये;

(ङ) क्या इस क्षेत्र से उपरोक्त मिल को हटाने की अनुमति देने से पहले इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था;

(च) क्या गन्ना उगाने वालों के उत्कट विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने निश्चय का पुनरीक्षण करने केलिये तैयार है; और

(छ) क्या यह अनुमति देने से पहले पंजाब सरकार तथा पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासतों की संघ की सरकार के विचार जान लिये गये थे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) इस कारखाने को इस स्थान से ले जाने की अनुमति मुख्यत: इसलिये दी गई कि एक तो वहां गन्ना अपर्याप्त मात्रा में मिलता था और दूसरे गन्ने से चीनी कम निकलती थी ।

(ग) यह ठीक नहीं है कि हमीरा के कारखाने में, सारा उपलब्ध गन्ना नहीं पेरा जा सकता । सच तो यह है कि इस कारखाने को कभी इतना गन्ना नहीं मिला कि वह पूरा काम कर सके ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(च) तथा (छ) इस कारखाने को दूसरे स्थान पर ले जाने की अनुमति देने से पहले राज्य सरकारों और गन्ना उगाने वालों के विचारों का ध्यान रखा गया था ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पिछले वर्ष गन्ने की बहुत सी मात्रा प्रयोग में नहीं लाई जा सकी ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि गन्ना उगाने वालों के विचारों का ध्यान रखा गया था

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वह पहले ही कह चुके हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : यदि हां, तो किस से परामर्श लिया गया, गन्ना उगाने वालों की किसी संस्था से या उन से निजी तौर पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सरकार से परामर्श किया गया । उस क्षेत्र के गन्ने से चीनी कम निकलती है और उस कारखाने में बहुत सा गन्ना पेरा जा सकता है । उस कारखाने को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता था । इसलिये उस ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपना कारखाना वहां लेजाने की अनुमति मांगी । उन की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ये तथ्य सरकार की मार्फत मालूम हुए या कि मिल मालिकों से ?

श्री किदवई : ये तथ्य उन आंकड़ों में थे, जो हमें चीनी की मात्रा, निर्माण की प्रति वर्ष लागत और कारखाने की अधिक गन्ना पेरने की क्षमता के सम्बन्ध में हमें दिये जाते हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि चीनी की मात्रा कम होने के कुप्रबन्ध आदि, और भी कारण थे ?

श्री किदवई : उस कारखाने के मालिक और कारखानों का प्रबन्ध भी कर हैं उन का एक कारखाना गोरखपुर में है और एक सहारनपुर में । हमें मालूम हुआ है कि उन कारखानों में गन्ना पेरने का काम बहुत सन्तोषजनक रहा है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस क्षेत्र में गन्ने से अन्य क्षेत्रों के गन्ने की रकम अपेक्षा कम चीनी क्यों निकलती है ?

श्री किदवई : सम्भव है कि यह बात जलवायु का प्रभाव हो, या यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार ने गन्ने के बीज सुधारने की ओर ध्यान नहीं दिया ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पिछले साल दिये गये गन्ने की बाकी रकम, कारखाने के मालिकों ने चुका दी है?

श्री किदवई : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरा देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि चीनी के कारखाने के मालिकों ने गन्ना उगाने वालों को उन की बाकी रकम चुका दी है ।

श्री गोपाल राव : १९५२-५३ में ।

श्री किदवई : मुझे कोई शिकायत नहीं मिली । परन्तु कोई शिकायत मिले तो उस पर ध्यान दिया जायगा । मुझे आशा है तथा विश्वास करता हूं कि गन्ना उगाने वालों की रकम उन्हें चुका दी गई है ।

दिल्ली में टेलीफोन के कनक्शन

*८०८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ जनवरी को दिल्ली (नई तथा पुरानी) में टेलीफोन के कुल कितने कनक्शन थे ।

(ख) उसी तिथि को आटोमेटिक तथा आपरेटरों वाले टेलीफोन की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या आपरेटरों वाले टेलीफोनों के स्थान में आटोमेटिक टेलीफोन लगाने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १५,८१० टेलीफोन कनक्शन

(ख)	मुख्य कनक्शन	ऐक्स्टेन्शन
आटोमेटिक	८७१६	६१५५
आपरेटरों वाले	७९१	१४८

(ग) जी, हां ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या आम व्यक्तियों को टेलीफोन देने की प्राथमिकता, प्रार्थना पत्र की तिथि के हिसाब से होती है या किसी अन्य आधार पर ?

श्री राज बहादुर : इस प्रयोजन के लिये निश्चित नियम हैं । इस सम्बन्ध में प्रार्थियों की विभिन्न श्रेणियां हैं जैसे मुक्त श्रेणियां और उन लोगों की श्रेणियां जिन्हों ने "अपने टेलीफोन लीजिये" योजना में धन देने वालों की श्रेणियां । कुल मिला कर सात श्रेणियां हैं । इस में सन्देह नहीं कि इस में प्रार्थना पत्र की तिथि का भी ध्यान रखा जाता है ।

सेठ गोविन्द दास उठ खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : हम मुख्य प्रश्न से परे जा रहे हैं । पिछला प्रश्न भी इस से उत्पन्न नहीं होता । माननीय सदस्यों को चाहिये कि जो प्रश्न पूछे गये हों उन्हीं के सम्बन्ध में और आगे पूछताछ करें और वंटन कैसे होता है, आदि प्रश्न न पूछें । यह प्रश्न केवल इस सम्बन्ध में है कि आपरेटरों वाले टेलीफोनों के स्थान में कितने आटोमेटिक टेलीफोन लगाये गये इत्यादि । बस इतना ही काफी है । इस पर अन्य प्रश्न न पूछिये । अगला प्रश्न ।

द्वीप भत्ते

*८०९. **श्री नम्बियार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मण्डापम तथा रामेश्वरम द्वीपों और कोचीन बन्दरगाह (विलिंगडन द्वीपों) में रेलवे कर्मचारियों को दिये जाने वाले "द्वीप भत्ते" बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से और क्यों;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे द्वीप भत्ते, केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को दिये जाते हैं;

(घ) क्या इन द्वीपों में आस पास के क्षेत्रों की अपेक्षा जीवन यापन व्यय बहुत अधिक है;

(ङ) क्या ऐसे क्षेत्रों में कर्मचारियों को खाद्य पदार्थों आदि के पास देने कम कर दिये गये हैं; और

(च) रेलवे कर्मचारियों की ओर से ये पास तथा द्वीप भत्तों के विशेषाधिकार फिर से देने लगने के सम्बन्ध में दिये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). मण्डापम तथा रामेश्वरम् द्वीपों में रेल कर्मचारियों को पिछले २५ वर्ष से द्वीप भत्ता नहीं दिया गया । विलिंगडनद्वीप में रेल कर्मचारियों को जो पूरक भत्ता दिया जा रहा था वह १-११-१९४७ से, केन्द्रीय वेतन आयोग की इस सिफारिश

के अनुसार बन्द कर दिया गया कि ऐसे भत्ते उसी प्रकार दिये जाने चाहियें जैसे कि राज्यों में दिये जाते हैं ।

(ग) मण्डापम तथा रामेश्वरम द्वीपों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों को पूरक भत्ता दिया जा रहा है। विलिंगडन द्वीप में स्थिति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

(घ) इन स्थानों में जीवन-यापन व्यय के ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु सम्भव है कि यह व्यय आस पास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हो ।

(ङ) जी, नहीं । खाद्य पदार्थों आदि के पास मण्डापम तथा रामेश्वरम् में स्थिति कर्मचारियों को दिये जाते हैं । इन पासों की उपलब्धता पुनरीक्षित कर दी गई है, क्योंकि खाद्य पदार्थ आदि अब पास के स्थानों में भी मिल जाते हैं ।

(च) इस सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ । यह समझा जा रहा है कि उपरोक्त पासों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रबन्ध पर्याप्त हैं । मण्डापम तथा रामेश्वरम द्वीपों में कर्मचारियों को पूरक भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मण्डापम रामेश्वरम आदि में अन्य सरकारी कर्मचारियों को कुछ पूरक भत्ता दिया जाता है, क्या रेल कर्मचारियों को भी यह विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिये ।

श्री अलगेशन : मैं ने भाग (च) के उत्तर में पहले यही कहा है कि इस प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री नम्बियार : मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या खाद्य पदार्थों आदि के पास जो पहले मदुरा तक दिये जाते थे, अब रामनद तक ही दिये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : अब ये पास केवल पारामाकुड़ी तक ही दिये जाते हैं क्योंकि खाने पीने का सामान समीप के स्थानों में ही मिल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने यह तो पहले ही कह दिया है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि रेल कर्मचारियों का यह कहना है कि यह सामान न तो पारामाकुड़ी के स्टेशनों पर मिलता है और न उस से पहले स्टेशनों पर ?

श्री अलगेशन : जो वस्तुएं उपलब्ध न हों उन के लिये अन्य पास दिये जाते हैं ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मण्डापम, रामेश्वरम, कोचीन तथा एर्नाकुलम बन्दरगाह के क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई शिक्षा संस्था नहीं और रेल कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा देनी होती है, उन्हें कुछ भत्ते देने के प्रश्न को महत्व दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री प्रश्न के भाग (च) के उत्तर में पहले ही कह चुके हैं कि वे इन मामलों पर विचार कर रहे हैं ।

भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को गेहूं का आटा उधार पर

***८१०. श्री पी० टी० चाको :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की सरकार की यह प्रार्थना मान ली है कि उसे गेहूं का आटा उधार दिया जाय; और

(ख) क्या सरकार ने आटा दे दिया है, यदि हां, तो कितना ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख)। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की सरकार ने भारत सरकार से गेहूं का दस टन आटा उधार मांगा था जो नकद दाम ले कर उसे दे दिया गया।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह प्रार्थना स्वीकार करते समय भारतीय नागरिकों के प्रति फ्रांसीसी सरकार का व्यवहार और भारतीय क्षेत्र में फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा बहुधा आक्रमणों का ध्यान रखा गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, यह तो एक पड़ौसी के प्रति सद्भावना का संकेत मात्र है, और फिर हम यह प्रयत्न करते हैं कि राजनीति को खाद्य से अलग रखा जाये—मेरा मतलब है कि खाद्य को राजनीति से अलग रखा जाये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): माननीय सदस्य इस बात को भूल रहे हैं कि वहां रहने वाले वे लोग हैं जिन के बारे में हम भारतीय होने का दावा करते हैं और हम उन्हें अन्न दे कर अपने भाइयों का पोषण कर रहे हैं।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यह उन के दर्द की दवा की जा रही है ?

श्री किदवई : दर्द की दवा नहीं, हम तो अपने भाइयों के लिये अनाज भेज रहे हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ठोकर मारने वालों के पैर चाटना हमारी विदेश नीति का गांधीवादी ढंग है ?

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह अन्न को राजनीति से परे रखा जा रहा है या राजनीति को अन्न से ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का कहना यह नहीं है कि वहां रहने वाले भारतीय हमें ठोकर मार रहे हैं। यदि वे हमें ठोकर मार रहे हैं तो हमें पाण्डीचेरी का दावा नहीं करना चाहिये।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस शुभकार्य का और प्रसार करने के सम्बन्ध में और प्रार्थनायें मिली हैं ?

श्री किदवई : वहां जितने अनाज की आवश्यकता होगी हम दे देंगे।

काण्डला-दीसा रलवे लाइन पर रेलदुर्घटना

* ८११. **श्री जसानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १४ जनवरी १९५३ को काण्डला–दीसा रेलवे लाइन पर अदेसर से भूटकिया के बीच चलने वाली मिश्रित गाड़ी की दुर्घटना हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो जान व माल की कितनी हानि हुई ?

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १३ जनवरी, १९५३ को रात के लगभग १० बज कर ६ मिंट पर भुटकिया भीमासर और अदेसर स्टेशनों के बीच चलने वाली ६६ डाऊन मिश्रित गाड़ी के दो खाली माल डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) कोई मरा या घायल नहीं हुआ। रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः २,२०० रुपये की हानि पहुंची।

(ग) पटड़ी से उतरने वाले एक माल डिब्बे के स्प्रिंग हैंगर का टूटना ।

श्री जसानी : इस नई लाइन के शुरू किये जाने के बाद से इस पर कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ।

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

भारतीय भैषिज ग्रंथ समिति

*८१२. **डा० अमीन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) भारतीय भैषिज ग्रंथ समिति कब बनाई गई थी;

(ख) अब तक इस की कितनी बैठकें हुईं और किस किस तिथि को; और

(ग) भारतीय भैषिज ग्रंथ समिति के लेख (मोनोग्राफ) कब प्रकाशित किये जायेंगे ।

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) २३ नवम्बर, १९४८ ।

(ख) तीन बैठकें, पहली दो मार्च, १९४९ को, दूसरी २७ नवम्बर, १९४९ को और तीसरी २३ फरवरी, १९५२ को ।

(ग) आशा है कि ये समिति से जून, १९५३ में अन्तिम रूप में प्राप्त हो जायेंगे । उस के बाद उन के छापने तथा प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया जायेगा ।

डा० अमीन : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समिति ने अब तक कितने लेखों को अन्तिम रूप दिया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ६ उपसमितियों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं और दो उपसमितियों को अभी अपनी रिपोर्टें देनी हैं और तब उन्हें अन्तिम रूप दिया जायगा ।

डा० अमीन : मैं उन की संख्या जानना चाहता हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं यह कहना चाहती हूं कि आठ उपसमितियां बनाई गई थीं जिन में से ६ ने अपने लेख दे दिये हैं और बाकी दो देने ही वाली हैं । उस के बाद सारी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को जून १९५३ के अन्त तक भेजी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या यह सच है कि इस समिति ने १००७ लेखों को अन्तिम रूप दिया है ?

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् जो उत्तर दिया गया है उस का प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

काण्डला बन्दरगाह

*८१३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक काण्डला बन्दरगाह के निर्माण में कहां तक प्रगति हुई है ?

(ख) इस बन्दरगाह में समुद्री यातायात के कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

(ग) कुल कितने व्यय की मंजूरी दी गई और कितना खर्च अब तक हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सारी पड़तालें, जांच और कई प्रारम्भिक कार्य पूरे किये जा चुके हैं । मुख्य बन्दरगाह के काम के ठेके को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और ठेकेदार का सामान वहां लगाया जा चुका है । निर्माण कार्य इस महीने शुरू हो जायेगा ।

(ख) समुद्री यातायात इस बन्दरगाह में आने लगा है । आशा है कि अधिक सुविधायें, जिन का आजकल विकास किया जा रहा है, १९५४ के मध्य से उपलब्ध होने लगेंगी ।

(ग) सारी योजना के लिये अनुमानतः १२ करोड़ ९५ लाख रुपये के खर्च की मंजूरी

दी गई है। जनवरी १९५३ के अन्त तक १ करोड़ ८८ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस बन्दरगाह के बनाने में कोई विदेशी विशेषज्ञ रखे गये हैं, यदि हां तो कितने ?

श्री अलगेशन : इस समय मुख्य इंजीनियर तथा डिप्टी कन्जरवेटर, विदेशी हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बम्बई-कोचीन तथा अन्य बन्दरगाहों से जितना माल बाहर जाता तथा बाहर से आता है, उसके अतिरिक्त इस बन्दरगाह से आयात निर्यात व्यापार के कितना अधिक बढ़ने की आशा है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, इस बन्दरगा के बन जाने पर आशा है कि यहां से १२ लाख टन माल बाहर जा तथा बाहर से आ सकेगा, और सम्भव है कि यह मात्रा १६ लाख टन भी हो सके।

श्री गिडवानी : क्या निर्माण का वास्तविक कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

श्री अलगेशन : श्रीमान जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा निर्माण का वास्तविक काम इस महीने शुरू हो रहा है।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि १२ करोड़ ९५ लाख रुपये की राशि का कितना प्रतिशत विदेशी कर्मचारियों तथा विदेशी माल पर खर्च होगा ?

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान, अधिक नहीं।

नारियल विकास अधिकार, अण्डमान द्वीप

*८१४. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अण्डमान द्वीप समूह में नारियल विकास अधिकारी के क्या कर्त्तव्य होते हैं ?

(ख) क्या नारियल के बगीचों के क्षेत्रों में उस के आने जाने के कोई प्रबन्ध हैं ?

(ग) नारियल बगीचों के विकास तथा वृक्षों के रोगों को समाप्त करने वाले अधिकारी ने कोई सिफारिश की है, यदि हां तो क्या ?

(घ) सरकार ने उन्हें कार्यरूप में परिणत करने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अण्डमान द्वीपों में नारियल विकास अधिकारी के कर्त्तव्य सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ख) जी हां।

(ग) विकास अधिकार ने अण्डमान में जनवरी, १९५३ के अन्त में अपना पद सम्भाला था और नारियल के बगीचों के विकास तथा वृक्षों की बीमारियों के समाप्त करने के सम्बन्ध में उस की सिफारिशें अभी हमें नहीं मिली हैं।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने भाग (ख) के उत्तर में कहा है कि प्रबन्ध किये जा रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि कौन से प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में जितने भी प्रबन्ध आवश्यक हैं किये जा रहे हैं।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस अधिकारी का कर्त्तव्य यह भी है कि वह पास के द्वीप निकोबार में भी खेती की देखभाल करे ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् य इस बात पर निर्भर ह कि उसे क्या कहना है। मुझे मालूम नहीं। सम्भव है कि इन्हीं

द्वीपों मे काम करने में उस का सारा समय बीत जायगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता वह अधिकारी अभी अभी तो वहां गया है।

श्री पी० टी० चाको : क्या यह अधिकारी केन्द्रीय नारियल समिति के अधीन कार्य कर रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां।

श्री दाभी : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन बागीचों का क्षेत्र कितना है, उन के मालक कौन हैं और वहां प्रति वर्ष कितना नारियल उत्पन्न होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस अधिकारी को खेती के विकास तथा नारियल के बागीचों में वृक्षों की बीमारियों को दूर करने में सफलता मिली है ?

श्री किदवई : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य इस उत्तर की ओर ध्यान नहीं रख रहे कि यह अफ्सर जनवरी १९५३ के अन्त में तो वहां पहुंचा है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अण्डमान के विकास अधिकारी ने वहां नारियल को खा जाने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े को हटाने या उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही की है।

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वह अधिकारी एक महीना पहले वहां पहुंचा है।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इन द्वीपों में नारियल की खेती का विकास करने के लिये ऐसे किसानों को भेज रही है, जिन्हें इस सम्बन्ध में अनुभव है ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही करने के सुझाव हैं।

अनाज की आवश्यकताएं

*८१५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में देश को गेहूं तथा चावल की जितनी आवश्यकता है, उस को देखते हुए देश में इन की कितनी कमी है, और

(ख) यह कमी किन साधनों से पूरी की जायगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख). यह अनुमान लगाया गया है कि १९५३ की मूल योजना के अनुसार ८ से ९ लाख टन चावल और १७ से १८ लाख टन गेहूं अन्न की कमी वाले राज्यों को देना होगा। आशा है कि चावल के अभाव का मुख्य भाग देश में ही पूरा हो जायेगा और बाकी आयात से पूरा किया जायगा। हमें आशा है कि देश में गेहूं हमारी आवश्यकता से २ लाख टन अधिक होगा।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि किन राज्यों में उनकी आवश्यकता से अधिक अनाज है और किन में उन की आवश्यकता से कम ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जिन राज्यों में उन की आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होता है वह अधिक अनाज वाले राज्य हैं और जिन में उन की आवश्यकता से कम अनाज पैदा होता है वह कमी वाले राज्य हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कुछ देशों से पटसन के बदले गेहूं मंगाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने अर्जन्टीना के साथ एक करार किया है जिस के अधीन वह हमें टाट के बदले गेहूं देगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितना पटसन भेजा गया और उस के बदले कितना गेहूं आया ?

श्री किदवई : ४० हजार टन पटसन भेजा गया है और मेरा विचार है कि २,५०,००० टन गेहूं मिला है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि बाहर से इस वर्ष कितना गेहूं और कितना चावल आने वाला है ?

श्री किदवई : उम्मीद तो यह है कि बहुत कम आयेगा ।

सेठ गोविन्द दास : कम तो आयेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितन आएगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमें इस वर्ष १८ लाख टन गेहूं मंगाना है ।

सेठ गोविन्द दास : और चावल ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सात लाख टन, और ३ लाख टन मिलो मंगाया जायगा । कुल मिला कर लग भग २९ लाख टन अनाज मंगाना होगा ।

श्री वी० पी० नायर : चावल तथा गेहूं की प्रति व्यक्ति कितनी कम से कम आवश्यकता है जिस के आधार कपी का अनुमान लगाया जाता है ?

श्री किदवई : इस का अनुमान राशन वाले क्षेत्रों की खपत के आधार पर लगाया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने तो यह पूछा कि आवश्यकता का अनुमान कितना है ।

श्री किदवई : मेरा विचार है कि हाल ही में नमने की पड़ताल की गई थी और एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिस में यह सब सूचना दी गई है । आशा है कि माननीय सदस्य ने उसे पढ़ लिया होगा ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि मद्रास तथा ट्रावन्कोर और कोचीन की सरकारों ने जो मांगें की थीं वह पूरी कर दी गई हैं ?

श्री किदवई : मद्रास तथा ट्रावन्कोर-कोचीन की सरकारों की मांगें पूरी तरह पूरी की गई थीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सांख्यकीय संस्था के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन तथा खपत दोनों पहले से अधिक हैं, क्या यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है या किसी अन्य आधार पर ?

श्री किदवई : यह देखा गया है कि खपत तथा उत्पादन की मात्रा वही है जो यहां बताई गई है परन्तु जो अन्तर बच जाता है उस से हमारी आवश्यकता पूरी हो जायेगी । यह अन्तर तीन या चार वर्ष से रहा है और उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या मद्रास राज्य की सारी आवश्यकता पूरी कर दी गई है ?

श्री किदवई : मद्रास को जितनी भी आवश्यकता होगी उतना अनाज दिया जायेगा ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार का ध्यान ट्रावन्कोर कोचीन के खाद्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि ६ औंस का राशन नहीं बढ़ाया जा सकता क्यों कि अनाज की कमी है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पिछले साल उन्हें साढ़े चार औंस अनाज दिया जा रहा था । अब यह मात्रा बढ़ा कर ६ औंस कर दी गई

है । यह तो इस बात पर निर्भर है कि देश में अन्न वसूली से और बाहर से, कितना अनाज मिल सकता है । यह सब अनाज की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को अब चावल का राशन मिला है ?

श्री किदवई : उत्तर प्रदेश में सरकार चावल इकट्ठा करती थी और राशन की दुकानों को देती थी । अब वह पहले की तरह चावल इकट्ठा नहीं करती । खरीदारों के लिये कुछ मात्रा छोड़ते हुए, अब वह बहुत कम अनाज इकटठा करती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वे कौन से देश हैं जिन से चावल मंगाना पड़ता है और क्या यह किसी अन्य वस्तु के बदले में मिलता है ?

श्री किदवई : चावल चीन या बर्मा तथा स्याम से मंगाया जा सकता है । अभी हम ने यह निर्णय नहीं किया कि कहां से मंगायें ।

श्रम कल्याण अधिकारी

*८१६. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां आजकल श्रम कल्याण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है ?

(ख) क्या ऐसे केन्द्रों को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है और यदि हां, तो कब और किन स्थानों पर ?

(ग) कल्याण अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रवेश पाने के सम्बन्ध में क्या क्या अर्हतायें चाहियें ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) श्रम कल्याण अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई विशेष संस्था नहीं है परन्तु कुछ संस्थाओं में सामाजिक कल्याण के विषयों में प्रशिक्षण का प्रबन्ध है । उन के नाम ये हैं :—

(१) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सांइसिस, बम्बई :

(२) दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क, दिल्ली;

(३) फैक्लटी आफ सोशल वर्क, एम० एस० यूनिवर्सिटी, बड़ौदा;

(४) डिपार्टमेंट आफ सोशल वर्क कलकत्ता यूनिवर्सिटी;

(५) मद्रास स्कूल आफ सोशल वर्कस;

(६) पटना विश्वविद्यालय ।

इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इन संस्थाओं में कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा सकते हैं ?

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जहां तक भारत सरकार की ओर से तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किये जाने का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण के लिये, निम्नलिखित अर्हतायें निश्चित की गई हैं। प्रशिक्षण कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिया जाता है :—

(१) उम्मीदवार की आयु ४० वर्ष से कम होनी चाहिये ।

(२) उम्मीदवार के पास कोई डिग्री, अच्छा तो यह है कि वह सामाजिक विज्ञानों की हो, होनी चाहिये ।

(३) उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि वह केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार के अधीन श्रम अधिकारी या श्रम निरीक्षक या श्रम कल्याण अधिकारी का कार्य कर रहा हो या ऐसे पद पर हो जिस के कर्त्तव्य तथा कार्य उपरोक्त पदों जैसे ही हों; और

(४) उम्मीदवार से यह आशा होनी चाहिये कि वह साधारणतया श्रम अधिकारी श्रम निरीक्षक या श्रम कल्याण अधिकारी बनेगा ।

ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु यह तो मानी हुई बात है कि स्वीकृत विश्व-विद्यालयों के ग्रेजुएट ही इन संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : गैर सरकारी उद्योगों के ऐसे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : श्री न् मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि इस श्रम मंत्रालय ने लेबर वैलफेयर इंस्पैक्टरों को लंदन भेजा है और अगर भेजा है तो कितनी संख्या में भेजा है ?

श्री वी० वी० गिरि : किसी को नहीं भेजा गया ।

श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री ने उन कालिजों तथा संस्थाओं की सूची दी है जिन की विशेषता यह विशेष प्रशिक्षण देना है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब तक कितने व्यक्तियों ने यह शिक्षा पाई है और उन में से कितने काम पर लगे हुए हैं और कितने बेकार हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : २२४ ने प्रशिक्षण पाया है । मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि कितने काम पर लगे हुए हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या यह सच नहीं है कि कई विश्वविद्यालयों में समाज सेवा एक अलग विषय है ? क्या उन ग्रेजुएटों के लिये यह आवश्यक है .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न पर तर्क वितर्क कर रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इन विश्व-विद्यालयों में समाज सेवा की उपाधि लेने वाले ग्रेजुऐटों के लिये मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली में इन संस्थाओं में फिर प्रशिक्षण पाना आवश्यक है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह आवश्यक नहीं ।

श्री पुन्नूस : क्या माननीय मंत्री हमें यह बतलायेंगे कि काम पर लगे हुए श्रम कल्याण अधिकारियों में से कितने प्रतिशत में वे अर्हतायें हैं, जो बताई गई हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : बहुतों में ।

श्री नम्बियार : क्या इन व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि काम पर लगने से पहले वे श्रम सम्बन्धी कानूनों विधानों तथा नियमों को पढ़ें ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि वे सफल श्रम कल्याण अधिकारी होना चाहते हों तो उन के लिये उन का अध्ययन आवश्यक है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि लेबर वैलफेयर आफिसर्स के सेलेक्शन में शेडयूल्ड कास्ट के रिज़र्वेशन का भी ख्याल किया गया है और अगर ऐसा है, तो कितने शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कैंडीडट्स उस में लिये गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है कि ऐसा है ।

बरकुई अस्पताल में ऐक्स-रे संयंत्र

*८१७. **श्री आर० बी० शाह :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पंचघाटी खानों के बरकुई अस्पताल को श्रम कल्याण लेखे में ऐक्स-रे का जो संयन्त्र दिया गया था वह पिछले चार वर्ष से ट्रांसफार्मर और एक्सरे ट्यूब न होने के कारण बन्द पड़ा है ?

(ख) कब तक उपरोक्त एक्स-रे संयंत्र के खान मजदूरों के काम में आने की आशा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). मार्च, १९५२ के अन्त तक यह संयंत्र स्क्रीनिंग के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। अब भी यह इसी काम में आ रहा है। शीघ्र ही इसमें आवश्यक वस्तुयें लगाकर इसे फोटो लेने के योग्य बनाया जायेगा।

धान तथा चावल के लाने लेजाने पर निबन्ध

*८१८. **श्री बी० एन० राय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में धान तथा चावल के लाने ले जाने पर निर्बन्ध लगाये जाने के फलस्वरूप वहां इनका मूल्य बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चावल तथा धान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर हाल में प्रतिबन्ध लगाए जाने के फलस्वरूप इनके भाव बढ़ गये हैं ?

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी० एन० राय : धान के अगले मौसम से पहले ये निर्बन्ध क्यों लगाए गए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह निर्बन्ध इसलिए लगाए गए हैं कि समाहार शीघ्र हो सके।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में, इन निर्बन्धों से पहले चावल का क्या भाव था और अब क्या है ?

श्री किदवई : स्थिति यह है। उत्तर प्रदेश में चावल का मूल्य सदा ही दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत की अपेक्षा अधिक होता है।

श्री गोपाल राव : ये निर्बन्ध लगाए जाने से पहले धान का क्या भाव था और लगाए जाने के बाद अब क्या भाव है ?

श्री किदवई : ये निर्बन्ध १९३९ या १९४० में किसी समय लगाए गए।

श्री नम्बियार : श्रीमान हम यह जानना चाहते हैं कि हाल ही के निर्बन्धों से पहले क्या मूल्य था ?

श्री किदवई : निर्बन्ध पहले पूर्वी ज़िलों में लगाया गया जहां के लोग चावल खाते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि चावल इस क्षेत्र से बाहर न जाये। मूल्यों में कई रुपयों की कमी हो गई। लोगों ने और परचून वालों ने कम मूल्य पर चावल खरीदा क्योंकि निर्बन्ध लगा दिये गये थे और चावल इस क्षेत्र से बाहर न जा सकता था। इसलिए मूल्य कम हो गए। इसके बाद, दूसरे क्षेत्र में, जहां चावल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था, कहा जाता है कि सरकार ने सारे स्टाक पर कब्ज़ा कर लिया जिससे कि कमी वाले क्षेत्रों तथा राज्यों को वह चावल दिया जा सके। इससे व्यापारियों में बेचैनी सी फैल गई और मुझे बताया गया है कि पूर्वी जिलों के क्षेत्र में भी चावल छिपा लिया गया और मूल्य कुछ बढ़ गये परन्तु अब मूल्य सामान्य हैं।

श्री आर० एन० सिंह : क्या ऐसे प्रतिबन्ध जनता में चोरी की भावना नहीं पैदा करते ?

श्री किदवई : कभी कभी ऐसा होता है।

श्री आर० एन० सिंह : ऐसे प्रतिबन्ध क्यों लगाए गए हैं ?

श्री किदवई : यह सवाल यू० पी० गवर्नमेन्ट से किया जा सकता है ।

पटसन मिलों के मजदूरों की छंटनी

* ८१९. **श्री रामानन्द दास** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों के मज़दूरों की छंटनी की गई है और उन्हें काम से हटाया गया है ?

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल में पिछले तीन महीनों में पटसन मिलों के कितने मज़दूरों की छंटनी की गई और उन्हें काम से हटाया गया ?

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय मज़दूर संघ और अन्य मज़दूर संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में उपचार करने के लिए अभ्यावेदन किया है ?

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पटसन मिलों के मज़दूरों की छंटनी तथा उन्हें हटाए जाने से रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, या करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) । पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचना दी है कि अभी पटसन मिलों में बड़े पैमाने पर कोई छटनी नहीं की गई है । परन्तु कुछ मिलों के प्रबन्धकर्ता फालतू मज़दूरों की छंटनी करने का विचार कर रहे हैं । यह मालूम नहीं कि उनका कितने मज़दूरों की छंटनी करने का विचार है ।

(ग) राष्ट्रीय पटसन मज़दूर संघ ने पश्चिमी बंगाल सरकार को जो स्मरण पत्र भेजा था उसकी एक प्रति भारत सरकार को मिली है । इस संघ ने और बातों के अतिरिक्त यह सुझाव भी दिया है कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाय जो पटसन मिलों की स्थिति—व्यापार, वित्त तथा मज़दूरों की हालत आदि के सम्बन्ध में अध्ययन करे ।

(घ) राज्य के श्रम निदेशालय ने सम्बद्ध पक्षों के बीच, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन समझौता कराने का मामला अपने हाथ में लिया है ।

श्री रामानन्द दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पिछले तीन महीनों में किन्हीं मज़दूरों को काम से हटाया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे ठीक ठीक संख्या का पता नहीं है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि मज़दूरों की सभी केन्द्रीय संस्थाओं ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सामने, मज़दूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे माननीय सदस्य से यह सूचना मिल रही है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि लगभग ५० हज़ार मज़दूरों की छंटनी का खतरा है और बंगाल की पटसन मिलों के दस हज़ार मज़दूरों की छंटनी पहले ही की जा चुकी है ; क्या सरकार को यह मालूम है ? और यदि हां तो वह क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि जितनी शीघ्र हो सके एक जांच आयोग नियुक्त किया जाय जो कच्चे पटसन तथा तैय्यार माल के क्रय विक्रय सम्बन्धी व्यवहार के सम्बन्ध में व्यापक जांच करे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सच है कि मिल मालिकों ने पश्चिमी बंगाल सरकार

की इस प्रार्थना पर यथोचित विचार नहीं किया है कि अव्यवस्थित ढंग से छंटनी न की जाये ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो लोग छटनी में आ गए हैं उन्हें कोई सहायता दी जाती है या प्रान्तीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री रामानन्द दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का विचार है कि इन मज़दूरों के सम्बन्ध में एक जांच समिति नियुक्त की जाये ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है कि एक जांच आयोग बनाया जा रहा है । मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि इस आयोग को क्या काम सौंपे जायेंगे परन्तु मेरा विचार है कि इसका एक काम यह भी होगा ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ऐसे मामले में जहां किसी बड़े उद्योग में बड़े पैमाने पर छंटनी होने की संभावना हो, ऐसी बात को रोकने की जिम्मेदारी सामान्यता किस मंत्रालय पर आती है ? क्या यह जिम्मेदारी माननीय मंत्री के मंत्रालय पर आती है या उनके साथी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पर ?

श्री वी० वी० गिरि : पहले तो इसका सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से है और फिर मुझ से भी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने मिल मालिकों को आदेश दिया है कि और छंटनी न की जाये ?

श्री वी० वी० गिरि यह मामला तो पश्चिमी बंगाल सरकार का है, मैं तत्काल ही इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि इस जांच आयोग में कौन कौन लोग होंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : यह अभी विचाराधीन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी नियुक्त नहीं किया गया ।

श्री के० के० बसु : जांच आयोग नियुक्त करने की प्रस्थापना को ध्यान म रखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पश्चिमी बंगाल सरकार को मिल मालिकों से यह कहने का आदेश दिया जाय कि कम से कम कुछ समय के लिए और छंटनी न करें और छंटनी की नीति के सम्बन्ध में चुप बैठने का आदेश जारी करें ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा ।

उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी सड़कें बनाने के लिए धन का वंटन

*८२०. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **यातायात** मंत्री १७ फरवरी १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य की ओर ध्यान देंगे कि उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी की सबसे बड़ी समस्या संचरण की है और यह बतलायेंगे कि उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के लोगों के विकास के लिए रखे गये धन का कितने प्रतिशत १९५२-५३ में सड़कें बनाने पर खर्च किया गया ?

(ख) कितनी सड़कें पूरी बना ली गई हैं, कितनी बनाई जा रही हैं और बनाई गई सड़कें कितने मील लम्बी हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार की उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी में अगले तीन वर्ष में सड़कें बनाने की कोई योजना है ?

(घ) वे कौन एजेंट हैं जिन्हें सड़कें बनाने का काम सौंपा गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आशा है कि लगभग ३५ प्रतिशत खर्च किया जायेगा ।

(ख) १३ सड़कें पूरी कर ली गईं, २ को सुधारा गया और ५ बनाई जा रही हैं । नई बनी सड़कें १४५ मील लम्बी हैं और सुधारी गई सड़कों की लम्बाई ९० मील है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी का एंजनीयरिंग विभाग तथा सैना के एंजनीयर

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि किस समय तक उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी के सारे उपखंडों को मोटर की सड़कों द्वारा आसाम के मैदानों से मिला दिया जायेगा ?

श्री अलगेशन : आशा है कि पंच वर्षीय योजना के दिनों में व्यापक कार्यक्रम लागू किया जायगा और इस पर लगभग सवा करोड़ रुपया खर्च होगा ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन में से कितनी सड़कों पर साल-भर मोटरें आ जा सकती हैं ।

श्री अलगेशन : कई ऐसी मदें हैं जो पूरी की जा चुकी हैं । विशेष मदों के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इनमें से कोई सड़क स्वेच्छा से मज़दूरी कर के बनाई गई ?

श्री अलगेशन : मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन सड़कों के बनने में कोई बेगार ली जाती है ?

श्री अलगेशन : जी नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी में कोई बाहर के ठेकेदार भी रखे गए हैं ?

श्री अलगेशन : यह तो काम कराने वालों पर निर्भर है और यह उत्तर पूर्वी एजेंसी के जन निर्माण विभाग के हाथ में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

दिल्ली ट्रंक एक्स्चेंज के लिए महिला कर्मचारी

*८२१. **श्री गणपति राम** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने निश्चय किया है कि १ अप्रैल, १९५३ से दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज में महिलाओं को रखा जाय;

(ख) यदि हां, तो कितनी महिलाओं के स्थान में अन्यों को रखा जायेगा;

(ग) क्या महिला आपरेटर पारियों में रात के समय भी काम करेंगी;

(घ) क्या इस काम के लिए नए कर्मचारी चुने जायेंगे या दूसरे कार्यालयों में काम करने वाली महिला आपरेटरों को ही रखा जायगा; और

(ङ) इस विभाग में अब तक कितनी कार्यक्षमता हुई है और महिला कर्मचारियों को क्या सुविधायें देने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली

ट्रंक एक्सचेंज में सब आपरेटर महिलाएं ही रखी जायें परन्तु अभी ऐसा करने की तिथि निश्चित नहीं की गई । इस निश्चय को १ अप्रैल, १९५३ से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा ।

(ख) महिला आपरेटरों के स्थान में और आपरेटर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) ज़िले के अन्य एक्सचेंजों से अनुभवी महिला आपरेटरों को ट्रंक एक्सचेंज में लाया जायगा और कुछ नई भरती भी की जायगी ।

(ङ) प्रश्न का पहला भाग पूरी तरह समझ में नहीं आता । परन्तु यह कहा जा सकता है कि इस काम में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक अपयुक्त पाई गई हैं । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि रात के समय काम करने वाली महिलाओं के लिए कमरों तथा घर तक छोड़ने की व्यवस्था किए जाने का विचार है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को इस नई योजना के लागू करने में कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि नहीं, सिवाय इस बात के कि हमें कुछ और आपरेटर रखने पड़ेंगे । परन्तु यह इस बात पर निर्भर है कि टेलीफ़ोन अधिक किए जाते हैं या कि नहीं ।

श्री गणपति राम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि दिन को तथा रात को काम करने वाले आपरेटरों के वेतनों के स्तरों तथा अन्य सुविधाओं में कोई अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : कुछ अधिक नहीं, इस बात को छोड़कर कि आजकल पुरुष आपरेटरों को रात को भी काम करना पड़ता है जबकि हम महिला आपरेटरों को रात को काम करने पर विवश नहीं करते और इसके कारण स्पष्ट हैं ।

श्रीमती सुषुमा सेन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि रात की पारियों में इन महिलाओं की ड्यूटी कितने घण्टे की होती है ?

श्री राज बहादुर : विभिन्न एक्सचेंजों में भिन्न है । सारे देश या किसी क्षेत्र विशेष के लिए यह निश्चित नहीं ।

श्री गणपति राम : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रात के समय काम करने वाली महिला आपरेटरों को काम पर आने तथा वापस जाने के लिए सवारी दी जाती है ?

श्री राज बहादुर : इस योजना के लागू किये जाने पर वह प्रबन्ध किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कल्याण के विस्थापित कैम्पों के लिए तारघर

* ८२२. **श्री गिडवानी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में कल्याण के विस्थापित कैम्पों, जिन्हें उलहास नगर कहा जाता है, में केवल एक ही तारघर है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन कैम्पों में रहने वालों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं कि वहां और तारघर खोले जाएं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का, वहां और तारघर खोलने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्यों ही उपयुक्त भवन मिल गया, कैम्प संख्या २ में एक तारघर खोल दिया जायगा ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को मालूम है कि वहां कई बैरकें हैं जिन्हें इस काम के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूंगा यदि वे एक ऐसी बैरक डाक तथा तार विभाग को दिलवा सकें । ज्यों ही उस का प्रबन्ध हुआ, नया तारघर खुल जायगा ।

गरम मसालों का विकास तथा विक्रय

***८२३. श्री एन० सोमना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मसालों के विकास तथा विक्रय की जांच के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफ़ारिशें की हैं ; और

(ग) क्या सरकार की, भारतीय काफी बोर्ड की तरह मसालों के विकास तथा विक्रय के लिए एक बोर्ड बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी०एस० देशमुख): (क) जी नहीं । परन्तु आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में समिति ने अभी सिफ़ारिशें नहीं कीं ।

श्री एन० सोमना : क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार को मालूम है कि इस समय मसालों के भाव बड़े अनिश्चित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह ठीक है ।

मधेपुरा मुरलीगंज रेलवे लाईन

***८२४. श्री वी० मिस्सर** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मधेपुरा से मुरलीगंज तक रेलवे लाइन के निर्माण पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि उक्त रेलवे लाइन पर काम में शिथिलता आ गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) माधेपुरा से मुरलीगंज तक रेलवे लाइन के निर्माण पर ३.२ लाख १५ हजार रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

(ख) जी नहीं । बिहार का जननिर्माण विभाग सहायता कार्य के रूप में यह काम कर रहा था । परन्तु अब रेलवे ने इसे संभाल लिया है और कर रही है ।

भारतीय जलपोत टनेज

***८२५. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय जलपोतों का टनेज कुल विश्व जलपोतों के टनेज की तुलना में आधे प्रतिशत से भी कम है ; यदि हां, तो वास्तविक प्रतिशतक क्या है;

(ख) १९५२ के दौरान में हुई वृद्धि की तुलना में जनवरी १९५२ से जनवरी १९५३ तक भारतीय टनेज में कितनी वृद्धि हुई; तथा

(ग) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित टनेज लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगामी वर्ष में किस दर पर भारतीय टनेज में वृद्धि की आवश्यकता है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय जलपोतों का

टनेज जुलाई १९५२ में कुल विश्वजलपोत टनेज का लगभग आधा प्रतिशत था।

(ख) भारतीय टनेज में १९५२ में कुल ३३,७०५ रजिस्टर्ड टन की वृद्धि हुई। १९५१ में यह वृद्धि २३,३५३ टन थी।

(ग) यह वृद्धि ६२,५०० रजिस्टर्ड टन प्रतिवर्ष के हिसाब से होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह : तेल ले जाने वाले कितने जहाज़ हैं ?

श्री अलगेशन : यह टनेज लगभग ११२ जहाजों की है परन्तु तेल ले जाने वाले जहाज़ों की संख्या बताने के लिए मुझे पूर्व सूचना मांगनी होगी।

श्री जोशिम अल्वा : क्या यातायात मंत्रालय को इस बात का ज्ञान है कि जहाजों का देश की रक्षा के लिए कितना महत्व है और क्या यह अपने कार्यवाहियां करने से पहले रक्षा मंत्रालय से विचार विमर्श कर लेती है ?

श्री अलगेशन : जी, हां।

श्री जोशिम अल्वा : क्या इस मंत्रालय को मालूम है कि जिन फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने विशाखापटनम् में जहाज़ बनाने का कारखाना खोलने का काम संभाला है, उनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है ?

श्री अलगेशन : हमारा कार्यक्रम यह है कि पंचवर्षीय योजना के समय में एक लाख टन के जहाज़ बनाये जायें।

श्री जोशिम अल्वा : क्या इस मंत्रालय को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार ने जर्मन इंजीनियरों को तय किया है कि वे तीन वर्ष में ही जहाज़ बनाने का कारखाना स्थापित कर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो हम तर्क-वितरक करने लगे।

भारतीय तटीय व्यापार

*८२६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तटीय व्यापार के लिए कुल कितने टन के जलपोतों की आवश्यकता है ;

(ख) भारतीय तटीय व्यापार के पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किए जाने की कब तक सम्भावना है ;

(ग) भारतीय तटीय व्यापार में लगे हुए विदेशी जलपोतों की संख्या क्या है ; और

(घ) क्या भारत सरकार को तटीय व्यापार में संलगन जलपोतों या विदेशी कम्पनियों के कर से कोई आय होती है यदि होती है तो १९५२ में इस प्रकार कितनी राशि वसूल की गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत के तटीय व्यापार के लिए अनुमान है कि लगभग ढाई तीन लाख टन के जहाज़ों की आवश्यकता है।

(ख) भारतीय जहाज़ ही लगभग सारा तटीय व्यापार करते हैं।

(ग) इस समय कोई विदेशी जहाज़ नियमित रूप से तटीय व्यापार में संलग्न नहीं है। परन्तु ऐसे जहाज़ों को बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी यात्रा करने के लाइसेंस दे दिये जाते हैं।

(घ) भारत में विदेशी जहाजों या जहाज़ कम्पनियों द्वारा भाड़े से कमाए गए धन पर आयकर लिया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं है कि विदेशी जहाजों पर, चाहे वे तटीय व्यापार में संलग्न हैं या समुद्र में आते जाते हैं, कितना आयकर लिया गया।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को जापान की जहाज़ बनाने की चार वर्ष की योजना का ज्ञान है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा सम्बन्ध तो अपनी पंचवर्षीय योजना से है ।

श्री एम० डी० जोशी : क्या तटीय जहाज़ का टनेज हमारे यातायात के लिए पर्याप्त है ?

श्री अलगेशन : यह लगभग पर्याप्त है, परन्तु हमने और जहाज़ खरीदने की व्यवस्था की है ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी: भारतीय जहाज़ जितना तटीय व्यापार करते हैं, उनका मूल्य कितना है ?

श्री अलगेशन : मुझे खेद है कि मुझे इसके लिए पूर्व सूचना मांगनी होगी ।

गया-मुगलसराय मुसाफ़िर गाड़ी में आग

*८२७. **श्री एन० पी० दामोदरन** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २६ फरवरी १९५३ को तीसरे पहर गया-मुगलसराय की ७३ अप मुसाफिर गाड़ी के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे को आग लग गई जिसके फलस्वरुप ४ यात्री मारे गये और बहुत से घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो इस आग लग जाने के क्या कारण थे;

(ग) सरकार ने पीड़ितों की सहायता करने तथा इस दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २६ फरवरी १९५३ को दिन के लगभग २ बज कर ५३ मिंट पर, जबकि नम्बर ७३ अप आसन-सोल-शाहजहांपुर मुसाफ़िर गाड़ी गया तथा कास्था स्टेशनों के बीच चल रही थी, गाड़ी के एक डिब्बे को आग लग गई । इसके फलस्वरूप ५ यात्री मरे, दो बहुत बुरी तरह घायल हुए या जल गए और १४ यात्रियों को मामूली घाव लगे ।

(ख) स्पष्टतया यह आग इसलिए लगी कि किसी सिगरेट पीने वाले यात्री ने जलती हुई दियासलाई लापरवाही से फेंक दी जो पास बैठे मुसाफिर के पैट्रोल के टीन पर जा गिरी और टीन को आग लग गई ।

(ग) घायलों की दुर्घटना के स्थान पर ही मरहम पट्टी की गई और बाद में उन्हें गया के पिलग्रिम्स अस्पताल में भेज दिया गया । जहां तक पीड़ितों तथा मरने वालों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने का सम्बन्ध है, उसका निश्चय सम्बद्ध क्षेत्र का पदेन दावा आयुक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२ (ग) के अन्तर्गत करेगा ।

(घ) भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ५९ के अधीन गाड़ियों में खतरनाक तथा ऐसे पदार्थ ले जाने की मनाही है जिन्हें जल्दी-आग लग सकती हो । टाइम टेबलों, सूचनाओं, पोस्टरों आदि द्वारा इस बात का बहुत प्रचार किया जा चुका है कि इस कानून को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में बहुत खतरा है । यह कार्यवाही अधिक गहन ढंग से जारी रखी जायेगी ।

श्री एन० पी० दामोदरन: श्रीमान, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि रेलवे अधिकारी इस बात का पर्याप्त ध्यान रखते हैं कि विस्फोटक

तथा ऐसे पदार्थ जिन्हें आग लगने का डर हो, यात्रियों के डिब्बों में न ले जाये जायें ?

श्री अलगेशन : पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं।

श्री एन० पी० दामोदरन : श्रीमान क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे की सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची है ?

श्री अलगेशन : लगभग ४० हज़ार रुपये।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने पहले कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में आग बुझाने के यंत्र होने चाहिए ?

श्री अलगेशन : आग बुझाने के यन्त्र थे परन्तु वे इस आग पर काबू पाने के लिए अपर्याप्त थे।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस मामले में आग बुझाने के यन्त्र से काम लिया गया ?

श्री अलगेशन : जी, हां।

पंडित डी० एन० तिवारी : पैट्रोल ले जाने वाले यात्री के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अलगेशन : उसकी तो मृत्यु हो गई!

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस गाड़ी में खतरे की ज़ंजीर तथा अन्य सुविधाएं थीं ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिनके मुंह जल गये थे, उन्हें पहचान लिया गया है ?

श्री अलगेशन : जांच अभी तक की जा रही है।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग जल मरे उन की पहिचान की गई थी--वे देश के किस भाग के रहने वाले थे ?

श्री अलगेशन : मेरी सूचना यह है कि जिस व्यक्ति ने दिया सलाई फेंकी थी, वह उसे बुझाना चाहता था परन्तु इसी प्रयत्न में उसकी जान चली गई।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि आग बुझाने के यंत्र तीसरे दर्जे के डिब्बे में होते हैं या गार्ड के डिब्बे में ?

श्री अलगेशन : ब्रेक वैन में।

आगरा के लिये टेलीफोन के कनक्शन

* ८२८. **चौधरी रघुवीर सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आगरा ज़िले में टेलीफोन कनक्शनों के बहुत से प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

(ख) वहां टेलीफोन के कनक्शन देने में कितना समय लगेगा ?

(ग) जो समिति इन कनक्शनों की स्वीकृति देती है, उस के सदस्य कौन कौन हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां,

(ख) आशा है कि लगभग १९५५ तक उन सब लोगों को कनक्शन दिये जा सकेंगे जो प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) आगरा में टेलीफोन एक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति के परामर्श पर दिये जाते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :--

(१) तार के निदेशक, लखनऊ	अध्यक्ष
(२) जिला प्रबन्धक	राज्य सरकार का प्रतिनिधि
(३) सेठ अचल सिंह	संसद् के प्रतिनिधि
(४) राय साहिब लाला राम किशोर	व्यापारियों के प्रतिनिधि

(५) डिवीजनल इंजनीयर, टेलीग्राफ्स, आगरा सचिव

चौ० रघुवीर सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अभी तक कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ?

श्री राज बहादुर : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

कोलार की सोने की खानों के मजदूरों के वेतन

*८२९. **श्री तिम्मय्या** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वेतन बोर्ड ने कोलार की सोने की खानों के मजदूरों के वेतन के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं ?

(ख) सरकार का, वेतनों के सम्बन्ध में बोर्ड के निर्णयों को कब लागू करने का विचार है ?

(ग) क्या कोलार की सोने की खानों के अधिकारियों को वेतन बोर्ड के निर्णयों के सम्बन्ध में कोई निदेश दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) इस प्रश्न में सम्भवतः कोलार सोना खान, कम से कम वेतन की हद सम्बन्धी समिति की सिफारिशों की ओर संकेत किया गया है जो कि मैसूर न्यूनातिन्यून वेतन अधिनियम, १९४९ (जो कि अब समाप्त हो चुका है) के अधीन बनाई गई थी । वेतनों के सम्बन्ध में इस समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ख) मैसूर न्यूनातिन्यून वेतन अधिनियम, १९४९ के स्थान में न्यनातिन्यून वेतन अधिनियम, १९४८ लागू है । यह अधिनियम सोना खान उद्योग पर लागू नहीं होता परन्तु इसे लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री फ्रंक एन्थनी : क्या यह सच है कि कोलार की सोने की खानों में काम करने वाले संपित तथा असंपित कर्मचारियों की काम करने की स्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर है ?

श्री वी० बी० गिरि : यह तो मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को न्यूनातिन्यून वेतन अधिनियम से कोलार सोना खान मजदूरों को लाभ पहुंचाने में कितना समय लगेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : अधिक नहीं ।

श्री नम्बियार : क्या मैं यह जान सकता हूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के लाभ इन मजदूरों को कब प्राप्त हो सकेंगे ?

श्री बी० बी० गिरि : मैं यह मालूम करन की चेष्टा में हूं कि हमारे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन इन मजदूरों को ये लाभ कैसे पहुंचाये जा सकते हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह सच है कि कोलार की सोने की खानों में अधीन कर्मचारियों को कोई उपदान नहीं दिया जाता ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे तो मालूम नहीं था, माननीय सदस्य से ज्ञात हुआ है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह भी सच नहीं है कि संपित कर्मचारियों को पेन्शन तथा प्रोवीडेंट फंड मिलता है जबकि असंपित कर्मचारियों को केवल प्रावीडेंट फण्ड मिलता है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इस सम्बन्ध में भी विचार करूंगा ।

श्री जोशिम अल्वा : कोलार की सोने की खानों के मज़दूरों को जो मामूली सा वेतन दिये जाने के प्रश्न पर विचार करते समय क्या श्रम मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि बहुत से हिस्सेदारों को बहुत सी राशि अंशदान में दी जाती है और उनमें से बहुत से इस देश में नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप मुख्य प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आसाम से नारंगियां तथा अनानास का निर्यात

*८३०. **श्री अमजद अली :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य में हर वर्ष नारंगियों तथा अनानास की बहुतसी मात्रा नष्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें आसाम से बाहर लाकर बेचने की सुविधाओं का अभाव है;

(ख) भारत सरकार इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या आसाम सरकार यह सुझाव देती रही है कि इन वस्तुओं को वायुयानों द्वारा राज्य से बाहर भेजा जाये ?

काद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी, हां।

(ख) खाद्य वस्तुओं को ठण्डा रखने तथा उन्हें डिब्बों में बन्द करने के विशेषज्ञों की एक टोली यह पता करने के लिए आसाम भेजी गई थी कि राज्य में उगाए जाने वाली नारंगियों आदि को बेच कर लाभ उठाया जा सकता है या नहीं। इस टोली ने फौरन ही तथा लम्बे समय के लिए कुछ कार्यवाहियां करने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में दिया है जिस पर, आसाम सरकार के साथ परामर्श से, विचार किया जा रहा है।

(ग) आसाम सरकार ने १९५० तथा १९५१ में केन्द्रीय सरकार से यह कहा था कि नारंगियों को वायुयान द्वारा राज्य से लाने का प्रबन्ध किया जाये। यह प्रबन्ध कर दिया गया था। उसके बाद आसाम सरकार की ओर से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली।

भदरक में केन्द्रीय गन्ना अनुसन्धान केन्द्र

*८३१. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ के समीप भदरक में केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए कोई विशेष निधि है।

(ख) इस केन्द्र की स्थापना किस स्थिति में है ?

(ग) इस द्वारा नियमित रूप से कब काम शुरू किये जाने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) जी, हां।

(ख) भदरक में केन्द्रीय गन्ना अनुसन्धान केन्द्र के भवन का एक भाग बनाने का काम उत्तर प्रदेश के जन निर्माण विभाग को सौंपा गया है और उसने यह काम अपने हाथ में ले लिया है।

(ग) अभी तो केन्द्रीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र में केवल चार ही विभाग होंगे अर्थात्, गन्ना अर्थ शास्त्र, पौदे उगाने की विद्या, कीट-शास्त्र तथा कृषि इंजनीयरी। इनमें से कीट-शास्त्र तथा कृषि इंजनीयरी विभागों के प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं और उन्होंने काम प्रारम्भ कर दिया है। आशा है कि बाकी दो विभाग अगले वर्ष काम शुरू कर देंगे।

चिकित्सा के खर्च की भरपाई

*८३२. **बाबू रामनारायण सिंह** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी खर्च की भरपाई पर लगभग कितना धन खर्च करती है ?

(ख) कितने प्रतिशत कर्मचारी इस योजना से प्रतिवर्ष लाभ उठाते हैं ?

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में १९५२ में कितना धन खर्च किया ?

(घ) क्या यह सुविधा उन सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती है जो आयुर्वेदिक तथा होम्योपेथिक इलाज कराते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और तैयार होते ही सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) जी नहीं ।

भारत में चीनी का उत्पादन

*८३३. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में दक्षिणी भारत में कितनी चीनी तैयार की गई और उत्तरी भारत को कितनी चीनी भेजी गई ,

(ख) क्या दक्षिणी भारत में तैयार की जाने वाली चीनी उस क्षत्र के लिए पर्याप्त होती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) दक्षिणी भारत में १९५० -५१ तथा १९५१-५२ में क्रमशः २ लाख ५९ हज़ार टन और तीन लाख ४७ हज़ार टन चीनी तैयार की गई । चालू मौसम में फ़रवरी, १९५३ के अन्त तक १ लाख ८७ हज़ार टन चीनी तैयार की जा चुकी है । साधारणतया दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत को चीनी नहीं भेजी जाती और १९५०-५१ या १९५१-५२ में चीनी भेजे जाने का कोई समाचार नहीं मिला है । कहा जाता है कि मद्रास तथा बम्बई राज्यों की चीनी मिलों ने लगभग ८०० टन चीनी पश्चिमी बंगाल तथा सौराष्ट्र राज्यों को भेजी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) देश में चीनी की जितनी उत्पादन सामर्थ्य है वह उस की सारी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए पर्याप्त है और इस समय सरकार की नीति यह है कि ऐसे मामलों को छोड़ कर, जहां किसी कारखाने की उत्पादन सामर्थ्य अनार्थिक हो, इस उद्योग का और प्रसार न होने दिया जाये । जो कारखाने उँचित स्थानों पर नहीं हैं या बन्द पड़े हैं उन्हे उसी राज्य में या बाहर उपयुक्त स्थानों पर जाने का प्रोत्साहन भी दिया जाता है । यह बात अस्थायी तौर पर मान ली गई है कि कुछ अनार्थिक कारखानों का प्रसार किया जायगा और उत्तर के कुछ कारखाने जो बन्द पड़े हैं मद्रास राज्य में ले जाये जायेंगे । इसी प्रकार बम्बई में भी कुछ कारखानों की स्थापना करने का मामला भी विचाराधीन है । आशा है कि इन सब बातों से दक्षिणी क्षेत्र में चीनी के उत्पादन में लगभग ८०,००० टन की वृद्धि हो जायेगी ।

रलवे मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

*८३४. **डा० सत्यवादी** : क्या **रेल मंत्री, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी किये गये वक्तव्य, जिसमें रेलवे सेवा**

श्रेणी १, २, ३ और ४ में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व तथा प्रत्यक्ष भरती के आंकड़े दिये हुए हैं, की ओर निर्देश करेंगे और यह बतायेंगे कि रेलवे सेवा की श्रेणी १, २, ३ और ४ में सुरक्षित कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय, गृह कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करता है। जो कार्यवाहियां की गई हैं उनका विवरण मंत्रालय द्वारा निकाली गई १९५१-५२ की रिपोर्ट में दिया गया है जिसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में है।

आसाम के चाय बाग़ान के कामकरों की छंटनी

*८३१. **श्री सरमा** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में शिलांग के सम्मेलन में, जिसमें आसाम के चाय उद्योग के मालिकों तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों तथा केन्द्र और राज्य के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया था, कोई निर्णय किए गए थे, यदि हां तो वे निर्णय क्या थे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

(ख) क्या मंत्री महोदय ने आसाम में अपने पिछले दौरे में चाय के किसी उद्यान का दौरा किया था ?

(ग) चाय के उद्यानों में काम करने वाले कितने मज़दूर उद्यानों के बन्द होने पर फ़रवरी १९५३ तक बेकार हुए और उनमें से कितनों को अन्य काम दिये गये ?

(घ) क्या यह सच है कि ज़िला चाय श्रम संस्था राज्य से बाहर के लोगों को चाय के उद्यानों में काम करने के लिए भरती किया जा रहा है ?

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस नई भरती रोकने के लिये कार्यवाही की जाय ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) सम्मेलन में सभी ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि खाद्य रियायत को नकदी में बदल दिया जाय यद्यपि इस सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका कि इन रियायतों के बदले में कितनी क्षति पूर्ति दी जाये, इस बातचीत के फ़लस्वरूप उद्योग तथा मज़दूरों के प्रतिनिधियों के मतभेद काफ़ी कम हो गए।

(ख) जी हां, तीन उद्यानों का।

(ग) २५ फ़रवरी, १९५३ तक प्राप्त सूचना के अनुसार, आसाम में चाय के उद्योगों के बन्द हो जाने के फ़लस्वरूप ५०,०२४ मज़दूर बेकार हो गए जिनमें से १,२८४ को उपरोक्त तिथि तक अन्य कामों पर लगाया गया। उस तिथि तक सात उद्यान फिर खुल गए थे।

(घ) जी हां, चाय जिले प्रव्राजक अधिनियम, १९३२ के उपबन्धों के अधीन।

(ङ) यह मामला विचाराधीन है।

मथुरा के समीप रेलगाड़ियों की टक्कर को रोक दिया गया

५६८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २ नवम्बर, १९५२ को मथुरा और आगरा के बीच ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर होने से रोक दी गयी।

(ख) यदि हां, तो ग़लत लाइन क्लियर देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २ नवम्बर १९५२ को रुनकुता स्टेशन पर डाउन ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस को उसी लाइन पर आने का सिगनल दिया

गया जहां एक अप पेट्रोल ट्रंक स्पेशल खड़ी थी परन्तु यह गाड़ी स्पेशल के इंजन से ११५ गज़ परे ही रोक ली गई ।

(ख) उन कर्मचारियों के विरुद्ध , जिन पर उपरोक्त एक्सप्रैस गाड़ी को ग़लत लाइन पर लेने की जिम्मेदारी है, उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

इस मामले से ग़लत "लाइन क्लियर" देने का कोई सम्बन्ध नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

बम्बई में छोटे सिंचाई कार्य

५६९. **श्री दाभी :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई सरकार ने १९५३ में भारत सरकार से छोटे सिंचाई कार्यों के लिए कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

(ख) यदि हां तो कितनी राशि ऋण के रूप में और कितनी अनुदान के रूप में दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, हां । ८० लाख रुपये का ऋण और १२ लाख १३ हजार रुपये का अनुदान ।

(ख) ऋण की स्वीकृति इस लिए नहीं दी गई कि कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने इस राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में छोटे सिंचाई कार्यों के एक विशेष कार्यक्रम के लिए १ करोड़ २७ लांख ६२ हज़ार रुपये का ऋण देना स्वीकार किया है । अब तक ६ लाख ३६ हज़ार रुपय का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है ।

संविधि अनुसार राशन के क्षेत्र

५७०. **श्री दाभी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यो में उन क्षेत्रों के नाम जहां अभी तक संविधि के अनुसार राशन है ;

(ख) इन में से प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या;

(ग) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उन अनाजों के नाम जो राशन में दिये जाते हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह प्रत्येक प्रकार का अनाज कितनीमात्रा में दिया जाता है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के अनाज का प्रस्तुत मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]

राजस्थान में चावल तथा धान का तथा समाहार

५७१. **श्री भीखाभाई :** क्या खाद्य कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे तथा

(क) राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य में धान तथा चावल के समाहार के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रस्तुत नीति क्या है ?

(ख) राज्य में चावल तथा धान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है; और

(ग) गेहूं के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या समाहार नीति अपनाएगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख) राजस्थान में चावल का उत्पादन कम होता है, इसलिए वहां सरकार द्वारा इसका समाहार नहीं किया जाता । राजस्थान में चावल तथा धान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की मनाही नहीं है सिवाय डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से, जहां से चावल या धान ले जाने के लिए परमिट लेने पड़ते हैं ।

(ग) राज्य सरकार का विचार है कि १९५३-५४ में व्यापार के लिए एक जिले से दूसरे जिले में ले जाए जाने वाले गेहूं पर ४० प्रतिशत लेवी लगाकर उसका समाहार किया जाय ।

सिन्दरी में मजदूर संघ

५७२. **श्री एन० पी० सिन्हा :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिन्दरी में इस समय कितने मज़दूर संघ हैं ?

(ख) उनके क्या नाम हैं और वे कब बनाए गए ?

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५२ को प्रत्येक संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी ?

(घ) उन में से कितने रजिस्टर्ड हैं और उनके रजिस्टर कराये जाने की तिथियां क्या हैं ?

(ङ) उनमें मे कितने संघों को सिन्दरी फ़र्टीलाइज़र्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटिड के प्रबन्धकों ने स्वीकार कर लिया है ?

(च) क्या वर्ष १९५२ में सिन्दरी में मालिक मज़दूर झगड़े हुए थे और यदि हां, तो वे कैसे थे ?

(छ) भाग (च) में जिन विवादों की ओर संकेत किया गया है, वे कैसे तै किये गय और प्रत्येक विवाद में किन संघों ने मज़दूरों का प्रतिनिधित्व किया ?

श्रममंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तीन ।

(ख) उन के नाम हैं (१) सिन्दरी वरकर्स यूनियन (२) दी फर्टीलाइज़र फ़ैक्ट्री-वरकर्स यूनियन और (३) दी सिन्दरी फर्टीलाइज़र फैक्टरी एण्ड कैमीकल वरकर्स यूनियन । वे क्रमशः ४ दिसम्बर, १९४७, १५ दिसम्बर, १९५२ और १० दिसम्बर, १९५२ को बनाए गए ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं । ३१ मार्च, १९५२ को सिन्दरी वरकर्स यूनियन के सदस्यों की संख्या, जैसा कि उनके १९५१-५२ के हिसाब में बताया गया था, ६९९ थी ।

(घ) केवल सिन्दरी वरकर्स यूनियन ही रजिस्टर्ड संघ है । यह १४ मार्च १९४८ को रजिस्टर कराई गई थी ।

(ङ) प्रबन्धकों ने अभी तक केवल सिन्दरी वरकर्स यूनियन सिन्दरी को ही माना है ।

(च) तथा (छ) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

छोटी सिंचाई योजना

५७३. **श्री बी० के० दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ के आय-व्ययक में सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं के लिए १० करोड़ रुपये की जिस राशि की व्यवस्था की गई थी वह विभिन्न राज्यों में कैसे बांटी गई है;

(ख) कितनी राशि अनुदान के रूप में और कितनी ऋण के रूप में दी गई; और

(ग) इस धन में से जिन योजनाओं पर खर्च की स्वीकृति दी गई है, उसकी मदें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम के अधीन राज्यवार धन नहीं दिया जाता । विशेष इस कार्यक्रम में से वित्तीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई योजनाओं पर

निर्भर है। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि विभिन्न राज्यों को कितने कितने ऋणों की मंजूरी दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) इन निधियों में से अनुदान देने का कोई प्रश्न ही नहीं। ये तो केवल ऋण देने के लिए हैं।

(ग) सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं के लिए, जो आर्थिक हों और जिनका लाभ शीघ्र ही हो सकता हो, इस राशि में से धन दिया जायगा।

रोजगार दिलाने के केन्द्र

५७४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिर से बसाने तथा रोज़गार दिलाने के संगठन के भविष्य की जांच पड़-ताल करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका काम कब पूरा हो जाने की आशा है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी, हां।

(ख) मैं इस समय तो कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता।

रसायनिक खादें

५७५. **डा० राम सुभग सिंह :** **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका की सरकारों के बीच खादों के प्राप्त करने तथा उनके बांटने के सम्बन्ध में हाल ही में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) यदि हां, तो कितनी खाद प्राप्त की जायगी और इसका मूल्य कितना होगा; और

(ग) इस खाद को कैस बांटा जायगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ६ दिसम्बर, १९५२ को भारत तथा अमरीका की सरकारों के बीच खाद प्राप्त करने तथा बांटने के सम्बन्ध में एक अनु-पूरक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस करार के अन्तर्गत ७५ हज़ार टन सल्फेट आफ अमोनिया और ३ हज़ार टन अन्य प्रकार की रसायनिक खाद लगभग ६० लाख डालर में खरीदी जायगी।

(ग) सल्फेट आफ़ अमोनिया खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के खाद भण्डार में रखा जायगा। यह भण्डार सारे सल्फेट आफ़ अमोनिया को, चाहे वह बाहर से मंगाया गया हो या देश में तैयार किया गया हो, बांटने का प्रबन्ध करता है। अधिकतर खाद राज्य सरकारों को दी जाती है जो विभागों द्वारा या गैर सरकारी एजेंसियों—जैसे फर्मों या सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को यह खाद देती हैं। इस भण्डार को इस आधार पर चलाया जाता है कि न तो इसे कोई लाभ हो और न ही कोई हानि। यह प्रश्न विचाराधीन है कि अमोनियम सल्फेट और दूसरी खादें जिनके सम्बन्ध में लोग कम जानते हैं और जो इस करार के अधीन बाहर से मंगाई जा रही हैं, परीक्षण के लिये मुफ्त दी जायं। परीक्षण के लिये दी जाने वाली खाद यह जानने के लिये प्रयुक्त की जायगी कि यह भूमि पर कैसे इस्तैमाल की जाय और गोदामों में कैसे रखी जाय।

वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना

५७६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वयस्क नागरिक प्रशिक्षण योजना का काम पहले कब प्रारम्भ हुआ था;

(ख) कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए प्रारम्भ में कितने स्थानों की स्वीकृति दी गई थी;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि कितनी है; और

(घ) पहली टुकड़ी का प्रशिक्षण समाप्त होने पर कितने छात्र सफल हुए ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अप्रैल, १९५० ।

(ख) १०,००० ।

(ग) टेकनीकल कामों के लिये २ वर्ष जिसमें उत्पादन के वास्तविक काम में ६ महीने का प्रशिक्षण भी शामिल है और व्यवसायिक कामों के लिये १२ महीने ।

(घ) ७,०८८ ।

नाविकों की भरती

५७७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाविकों की भरती के लिये सरकार के प्रबन्ध के अधीन रोज़गार दिलाने के कार्यालय खोलने की प्रस्थापना कहां तक कार्यरूप में परिणत हुई है और उस की प्रगति कहां तक हुई है;

(ख) ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है और कहां;

(ग) सरकार को, गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा नाविकों की भरती में कौन से दोष मालूम हुए हैं; और

(घ) इस समय ऐसी कितनी ग़ैर सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं और कहां ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). बम्बई तथा कलकत्ता में, जो कि नाविकों की भरती की मुख्य बन्दरगाहें हैं, रोज़गार दिलाने के दफ्तर खोलने का विचार है । प्रारम्भ में सुयोग्य नाविकों की संख्या गिनी जा रही है और बहुत से नाविकों के नाम पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब कार्यालय खोलने के प्रबन्धों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रस्तुत प्रबन्धों के अधीन शिपिंग मास्टरों का नाविकों के चुनने पर बहुत कम नियन्त्रण रहता है और वे इस सम्बन्ध में बेइमानी को नहीं रोक सकते । हाल ही के वर्षों में नाविकों में काम पाने के लिये बहुत स्पर्धा रही और उन्हें अस्थाई रूप से कम मिलता है और सदा काम पर नहीं लगे रहते । इसलिये प्रस्तुत प्रबन्ध में बेईमानी की गुंजाइश रह जाती है ।

(घ) इंजन रूम और सेलूनों में काम करने वाले नाविकों की भर्ती के लिये एक गैर सरकारी संस्था समुद्री बोर्ड है जो अब कलकत्ते में काम कर रहा है । बम्बई में ऐसी संगठित ग़ैर सरकारी संस्थायें नहीं हैं । वहां नाविकों की भरती सेरांगों और बटलरों द्वारा की जाती है ।

तामलूक का छोटा डाक घर

५७८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामलूक (पश्चिमी बंगाल) के छोटे डाकखाने के भवन में इतना स्थान है कि सारे कर्मचारी वहां काम कर सकें;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस भवन को और कब बढ़ाएगी; और

(ग) वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस भवन को और बढ़ाने का काम हाथ में लिया जा रहा है।

(ग) उस डाकखाने के सब पोस्ट मास्टर को ही एक क्वार्टर दिया गया है।

वनस्पति

५८०. श्री झूलन सिन्हा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पिछले पांच वर्षों में वनस्पति के उत्पादन में कहां तक वृद्धि हुई है; और

(ख) इस अवधि में भारत में घी का उत्पादन कितना हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वनस्पति का उत्पादन १९४८ में १ लाख ३० हज़ार टन से बढ़ कर १९५२ में १ लाख ९१ हज़ार टन हो गया।

(ख) १९४८—५२ काल में घी के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। घी के उत्पादन का अनुमान मुख्यतः इस आधार पर किया जाता है कि दूध देने वाले पशुओं की संख्या कितनी है और दूध का कितना भाग घी बनाने के काम में आता है। यद्यपि १९५१ में दूध देने वाले पशुओं की गणना की गई थी, सारे राज्यों से पूरी सूचना अभी तक नहीं मिली।

टेलीफोन के कनक्शन

५८१. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन यन्त्रों तथा अन्य यन्त्रों की संभरण स्थिति हाल ही में सुधर गई है;

(ख) क्या यह सच है कि नए टेलीफोन कनक्शनों के बहुत से प्रार्थना पत्र कुछ समय से सरकार के पास पड़े हैं;

(ग) भारत में टेलीफोन कनक्शनों की संख्या लगभग कितनी है और विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की लगभग संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार का प्रार्थियों को कब टेलीफोन कनक्शन देने का विचार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) टेलीफोन यन्त्रों की संभरण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) टेलीफोन कनक्शनों की संख्या लगभग २ लाख और विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या १ लाख ३६ हजार है।

(घ) कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती परन्तु चेष्टा की जा रही है कि जितना शीघ्र हो सके, इन लोगों को कनक्शन दे दिये जायें।

दिल्ली में गेहूं का राशन

५८२. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में दिल्ली में गेहूं के राशन की मात्रा १२ आउंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से घटा कर ९ आउंस कर दी है; और

(ख) सरकार का, दिल्ली में गेहूं के राशन की स्थिति सुधारने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) दिल्ली सरकार ने अस्थायी रूप से गहूं के राशन की मात्रा १२ औंस से घटा कर कर ९ औंस कर दी है।

(ख) जिन लोगों को और गेहूं की आवश्यकता हो, वे अपने राशन के अतिरिक्त, विशेष दुकानों से गेंहूं खरीद सकते हैं।

कृषि अनुसंधान केन्द्र

५८३. **श्री चिनारिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कृषि अनुसंधान केन्द्रों, फसलों तथा परीक्षणों सहित, की सूची तैयार हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सूची सदन पटल पर रखने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). राज्यों के कृषि निदेशकों, केन्द्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के निदेशकों और केन्द्रीय वस्तु समितियों के अनुसंधान निदेशकों के मार्च, १९५२ में इन्दौर में हुए सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् फसलों के हिसाब से भारत के कृषि अनुसंधान केन्द्रों की एक सूची तैयार कर रही है। ज्यों ही यह तैयार हो जायगी यह सदन पटल पर रख दी जायगी।

ज्वार बाजरे का समाहार

५८४. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्वार बाजरे से नियन्त्रण उठा लिये जाने के बाद से सरकार ने इसके उत्पादकों से, उनकी स्वेच्छा से बेचा गया कितना ज्वार बाजरा समाहृत किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १८ नवम्बर १९५२ को ज्वार बाजरे तथा मोटे अनाज पर नियन्त्रण ढीला किये जाने के बाद से २१ फरवरी १९५३ तक—जब तक के कि आंकड़े प्राप्त हैं—राज्य सरकारों ने उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से बेचा गया ज्वार बाजरे तथा अन्य मोटे अनाज की कुल मात्रा ४०,८०० टन है।

डाक तथा तार विभाग में रखे गए भूतपूर्व सैनिक

५८५. **श्री 'तुषार चटर्जी :** क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी गई हैं जो गत महायुद्ध में लड़े थे;

(ख) उनका सेवा काल गिनते समय, उन्हें नये भरती किये हुए समझा जाता है या सेना में उनका सेवा काल भी गिना जाता है; और

(ग) क्या उनके वेतन स्तर भी उसी प्रकार निश्चित किये जाते हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सदन पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) युद्ध में सेवा करने वाले उम्मीदवारों को, जिन्हें युद्ध के रक्षित स्थानों अर्थात् ऐसी नौकरियों पर रखा जाता है जो २९ जून १९४२ और ३१ दिसम्बर, १९४५ के बीच में बनाई गई और उनके लिये सुरक्षित रखी गईं, उनको ज्येष्ठता अधिक दी जाती है जिससे कि वह हानि पूरी हो जो उन्हें पहले किसी असैनिक विभाग में नौकरी न करने के कारण हुई है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ विशेष आदेश दिए हैं कि उनकी ज्येष्ठता का निर्णय कैसे किया जाय और इस प्रकार उन्हें सैनिक सेवा का लाभ मिलता है। युद्ध सेवा वाले अन्य उम्मीदवारों को, जिन्हें असुरक्षित नौकरियों पर रखा जाता है, उनकी ज्येष्ठता का निर्णय अन्य वाहय उम्मीदवारों की तरह साधारण नियमों के अनुसार किया जाता है, उदाहरण के लिये विशेष तथा

बराबर की श्रेणियों में सेवा के समय के आधार पर। सैनिक सेवा का ध्यान तभी रखा जाता है जबकि उसके बाद ही उन्होंने गैर सैनिक सेवा प्रारम्भ कर दी हो और जबकि सैनिक सेवा को बराबर की सेवा समझा जा सकता हो। "बराबर की श्रेणी" में सेवा की परिभाषा यह की गई है कि ऐसे वेतन स्तर पर काम करना जो उस न्यूनतम स्तर से अधिक हो जिस पर उम्मीदवार को नियुक्त किया गया हो।

(ग) युद्ध सेवा वाले उम्मीदवारों का वेतन पहले तो १९४७ से पहले के वेतन स्तर में निश्चित किया जाता है और फिर निर्धारित स्तरों में। युद्ध सेवा के "पूरित वर्षों" का ध्यान, निर्धारित स्तरों के लागू किये जाने से पहले चालू स्तरों में वेतन निश्चित करने में रखा जाता है। परन्तु निर्धारित स्तरों में वेतन के निश्चित करने के लिये केवल उसी सेवा को ध्यान में रखा जायगा जो केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वेतन का पुनरीक्षण) नियमों, १९४७, के अनुकूल हो।

टेलीफोनों की लागत

५८६. डा० अमीन : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी टेलीफोन कारखाने में प्रत्येक टेलीफोन यन्त्र के बनाने पर कितनी लागत आती है ?

(ख) विदेशों से मंगाये गए टेलीफोन यन्त्र की लागत कितनी है और इस की तुलना में सरकारी टेलीफोन कारखाने में बनाए गए टेलीफोन यन्त्रों की लागत कितनी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रत्येक टेलीफोन यन्त्र की लागत

बिना डायल के	डायल समेत
७४ रुपये	९५ रुपये

(ख) अन्य देशों में इन यन्त्रों का निर्माण मूल्य ज्ञात नहीं है परन्तु सरकारी टेलीफोन कारखाने में बने टेलीफोन तथा विदेशों से मंगाए गए टेलीफोन यन्त्रों के विक्रय मूल्य निम्नलिखित हैं :—

मेक	टेलीफोन यन्त्र का विक्रय मूल्य	
	बिना डायल	डायल समेत
सरकारी टेलीफोन कारखाने में बना हुआ	८९ रुपये	१०८ रु०
आटोमेटिक टेलीफोन एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी	—	१२८ ,,
जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी	१०८ रुपये	११५ रुपये
शिकागो	—	२१३ रुपये
एरिक्कसंस, स्वीडन	११२-८-० रुपये	१२५ रुपये
सीमेन एण्ड हाल्स्के जर्मनी	९० रुपये	९९ रुपये

बड़ौदा ज़िले में टेलीफोन सर्विस

५८७. डा० अमीन : क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के बड़ौदा ज़िले में किन स्थानों पर टेलीफोन सर्विसें उपलब्ध हैं;

(ख) इन में से प्रत्येक स्थान में कितने टेलीफोन लगे हुये हैं; और

(ग) सरकार को बड़ौदा ज़िले में, टेलीफोन की सर्विसों से प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख).

स्थानों के नाम	एक्सचेंज या पब्लिक काल आफिस	टेलीफोनों की संख्या
(१) बड़ौदा	एक्सचेंज	७७५
(२) डभोई	,,	४३
(३) करजत	पब्लिक काल आफिस	—
(४) पादरा	,, ,, ,,	४
(५) सिनोर	,, ,, ,,	—
(६) सावली	,, ,, ,,	—
(७) वधोडिया	,, ,, ,,	—

(ग) बड़ौदा ज़िले में १ जनवरी १९५२ से ३१ दिसम्बर १९५२ तक टेलीफोनों से कुल ४ लाख ९४ हज़ार ८ सौ इक्यासी रुपये की आय हुई।

एजल-लुगलेह सड़क

५८८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुशाई पहाड़ियों की मिज़ो जाति ने स्वेच्छा से काम करके एजल लुंगलेह सड़क बनाई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार तथा भारत सरकार ने प्रोत्साहन करने के लिये क्रमशः १५ हज़ार रुपये और ५ लाख रुपये दिए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि इस सड़क को ऐसी बना दिया जाय कि मोटरें सारा साल इससे आ जा सकें।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मिज़ो जाति के लोगों ने आसाम राइफल्स की सहायता से एंजल-लुंगलेह के रास्ते को लगभग ७५ मील तक कहीं कहीं सुधार दिया है जिससे कि इस पर जीप मोटर गाड़ियां आ जा सकती हैं और लगभग १५ मील लम्बी नई सड़क बनाई है जो ८ से १२ फुट तक चौड़ी है।

(ख) अब तक आसाम सरकार इस परियोजना पर खर्च के लिये १ लाख ८ हज़ार रुपये का अनुदान देने की स्वीकृति दे चुकी है और सड़क निधि से और अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इस सड़क के ७२ मील लम्बे टुकड़े को ठीक ठाक रखने का काम भी सम्भाला है जिस पर लगभग १ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च होगा।

(ग) अभी तो सरकार का यह विचार है कि इस सड़क को ऐसी बनाए रखा जाय कि जीप गाड़ियां सभी मौसमों में इस पर आ जा सकें।

अमरीका का नल कुएं खोदने में सहायता देने का कार्यक्रम

५८९. **श्री कृष्ण चन्द्र** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अमरीका का कोई ऐसा कार्यक्रम ह कि २ हज़ार नल कुएं खोदने में सहायता दी जाय ?

(ख) यदि हां, तो ये नल कुएं कहां खोदे जायेंगे ?

(ग) इन नल कुओं के सम्बन्ध में अमरीकी वित्तीय सहायता का क्या भाग है ?

(घ) क्या उन में से किसी के लिये कोई ठेका दिया गया है और यदि हां, तो किसे ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) २ हज़ार नल कुएं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों के संघ में लगाए जायेंगे इनमें से प्रत्येक राज्य में जितने नल कुएं लगाए जायेंगे उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

उत्तर प्रदेश	९९५
बिहार	३५०

पंजाब	३५५
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ	३००
कुल जोड़	२०००

(ग) इस कार्यक्रम के लिये अमरीका की वित्तीय सहायता का अनुमान १ करोड़ ३७ लाख डालर था परन्तु सम्भव है कि इससे अधिक राशि ही हो।

(घ) सम्बद्ध राज्यों की सरकारों ने ठेकेदारों को १५०५ नल कुओं के लगाने के ठेके दिए हैं, जिनकी तिथियां उनके नामों के सामने दी गई हैं :—

राज्य का नाम	ठेकेदार का नाम	नलकुओं की संख्या
(१) उत्तर प्रदेश	मैसर्स जर्मन वाटर डवेलपमेंट कार्पोरेशन, पश्चिमी जर्मनी	५००
(२) उत्तर प्रदेश	मैसर्स हेरल्ड टी० स्मिथ, इन्कार्पोरेटिड, अमरीका।	२००
(३) पंजाब	,, ,, ,,	२५५
(४) पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ	,, ,, ,,	३००
(५) बिहार	मैसर्स असोसियेटिड ट्यूबवेल्स लिमिटेड, ब्रिटेन	२५०

उत्तर प्रदेश के २९५ और पंजाब तथा बिहार के बाकी सौ सौ नल कुएं, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों द्वारा अपने विभागों की मार्फत अपने प्रस्तुत सामान तथा टेकनीकल जानकारों से ही बनाये जायेंगे।

क्षेत्र जिस पर कपास की खेती की जाती है

५९०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४०, १९४७, १९५० तथा १९५२ में साधारण तथा अच्छी प्रकार की रूई कितने क्षेत्र पर बोई गई थी ?

(ख) दुनिया में रूई के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत रूई भारत में उत्पन्न होती है ?

(ग) भारत में प्रति एकड़ कितनी रूई उत्पन्न होती है ?

(घ) रूई के मूल्य का कितना भाग उसे उगाने वाले के पास रहता है और क्या इससे उसे इस बात का काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि वह अपनी खेती का क्षेत्र बढ़ाए ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण जिसमें यह सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४**]

(ख) लगभग नौ प्रतिशत।

(ग) १९५१–५२ को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में औसत से ८० पौंड।

(घ) मुझे खेद है कि मैं स्पष्टतया नहीं समझा कि किस प्रतिशतता की ओर निर्देश है। रूई उगाने वाले के लिये न्यूनतम मूल्य की हद निश्चित कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में कोयला खान मजदूरों के लिए एम्बूलेंस गाड़ियां

५९१. **श्री आर० बी० शाह :** (क) क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि श्रम कल्याण

लेखे में से मध्य प्रदेश में ज़िला छिंदवाड़ा कोयला खानों को, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिये दी गई दो एम्बूलेंस मोटर गाड़ियां पिछले एक वर्ष से नहीं चली हैं ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन दो एम्बूलेंस मोटर गाड़ियों के न रहने से पिछले एक वर्ष से खानों के बीमारों तथा घातक दुर्घटनाओं की लपेट में आने वाले मज़दूरों को ले जाने के लिये कोई सन्तोष-जनक प्रबन्ध नहीं है ?

(ग) नई एम्बूलेंस गाड़ियों के किस समय तक दिये जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) एक एम्बूलेंस गाड़ी एक वर्ष से नहीं चली और दूसरी सितम्बर १९५२ से।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है।

(ग) एक गाड़ी की अस्थायी रूप से मरम्मत कर ली गई है। एक नई एम्बूलेंस गाड़ी बहुत शीघ्र चलने वाली है।

हैदराबाद में डाकिए व हरकारे

५९२. **श्री शिवमूर्ति स्वामी**: (क) क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य में गांवों के डाकियों तथा हरकारों का वेतन २० रुपये और १० रुपये (उस्मानिया सिक्का)—से कम है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारतीय संघ में गांवों के डाक घरों के कर्मचारियों तथा हैदराबाद राज्य के कर्मचारियों के वेतनों में बहुत अन्तर है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जहां तक हैदराबाद में गांवों के डाकियों तथा हरकारों का सम्बन्ध है, नहीं। जहां तक बहिर्वियोगीय एजेंटों का सम्बन्ध है, उन्हें ३१ माच १९५१ तक ६ रुपये (उस्मानिया सिक्का) से लेकर २६ रुपये दस आने (उस्मानिया सिक्का) तक भत्ते मिलते थे। उस तिथि के बाद, यदि वे भारतीय डाक तथा तार विभाग के दरों के अनुसार भत्ते लेना चाहें तो उन्हें वैसे भत्ते मिल सकते हैं।

(ख) सभी मामलों में नहीं। कर्मचारी चाहें तो राज्य के वेतन स्तर से ही वेतन लेते रहें या भारतीय डाक व तार विभाग के स्तरों के अनुसार; दोनों में से जो भी उन्हें उपयुक्त जंचता हो।

विश्व स्वास्थ्य संस्था (स्वास्थ्य परियोजनाएं)

५९३. **श्री संगण्णा** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि भारत में १९५२ में विश्व स्वास्थ्य संस्था के तत्वाधान में कितनी जन स्वास्थ्य परियोजनायें लागू की गईं ?

(ख) वे कब और कहां लागू की गईं ?

(ग) उन के परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (राजकुमारी अमृत-कौर): (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५]**

रलों पर चोरियां

५९४. **श्री रामानन्द दास**: (क) क्या **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में रेलों के पास पड़ी वस्तुओं के चोरी जाने या गुम हो जाने से कितनी हानि हुई ?

(ख) पुलिस तथा रेल कर्मचारियों ने १९५२ में ऐसे कितने मामले पकड़े ?

(ग) सरकार ने वस्तुओं के इस प्रकार गुम होने तथा चोरी होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाहियां की हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २,९३,९२,७२७ रुपये।

(ख) पुलिस ने ११७५ और रेल कर्मचारियों ने ४३०७ । पहले आंकड़ों में दक्षिणी रेलवे पर पुलिस द्वारा पकड़े गए मामलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि दक्षिणी रेलवे ने अभी तक ये आंकड़े नहीं दिए।

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिये जो कार्यवाहियां की गईं उन में ये भी हैं:—वाच एण्ड वार्ड (पहरेदारों तथा संरक्षकों) विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, रेलवे सुरक्षा पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों की गश्त जहां ये घटनायें होती हों, मूल्यवान वस्तुएं ले जाने वाले डिब्बों के साथ रेलवे रक्षा पुलिस का भेजा जाना, सरकारी रेलवे पुलिस तथा पहरेदारों तक संरक्षकों के निरीक्षकों के बीच गहरा सहयोग, ऐलिस पेटेंट तालों का अधिक प्रयोग, माल रखने की पहले से अधिक अच्छी सुविधायें देना, डिब्बों में यन्त्रों द्वारा रिवटें लगाने का अधिक अच्छा ढंग इत्यादि। समय समय पर आन्दोलन कर के इस बात के महत्व पर ज़ोर दिया जाता है कि वस्तुओं को भली प्रकार बांधा और लपेटा जाय और सावधानी से रखा जाय।

त्रिपुरा में चाय उद्यानों में काम करने वाले मज़दूरों का संघ

५९५. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में सिद्धि थाना की पुलिस ब्रहमकुण्ड के चाय उद्यान में घुस गई और वहां उसने तीन मज़दूरों को एक पेड़ से बांध कर पीटा क्योंकि वे चाय उद्यानों के मज़दूरों की १३ जनवरी १९५३ को कटला मारा में हुई एक बैठक में सम्मिलित हुए थे;

(ख) क्या मज़दूरों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह उनके अपना संघ बनाने के अधिकार की रक्षा करे; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने तथा मजदूरों की रक्षा करने का विचार है ?

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २५ फरवरी १९५३ को ब्रहम कुण्ड चाय उद्यान के मज़दूरों ने राज्य की पुलिस से शिकायत की कि उन से मारपीट की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) शिकायत की जांच की जा रही है ?

दयोली के लिए डाक घर

५९६. **श्री आर० सी० माझी**: क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले के दयोली गांव तथा आसपास के अन्य गांवों के लोगों ने डाक अधिकारियों से अभ्यावेदन किया है कि वहां एक ब्रांच डाक घर खोला जाय;

(ख) क्या यह सच है कि इस गांव से १० मील तक आस पास कोई भी डाक घर नहीं है; और

(ग) क्या अधिकारियों ने कोई जांच की है और इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) कहा जाता है कि इस गांव से सब से समीप डाक घर ९ मील की दूरी पर है।

(ग) पूछताछ की गई थी परन्तु डाक घर खोला नहीं जा सकता था क्योंकि इस नए

डाक घर और जिस कार्यालय के अधीन यह होता, उन्हें इतनी हानि होती कि इस का खोलना सम्भव नहीं था। पिछले वर्ष दिसम्बर में गांव वालों को सूचना दी गई थी कि यदि वे प्रस्तुत नियमों के अनुसार उपरोक्त हानि को पूरा करने में योग दें तो एक डाक घर खोला जा सकता है।

आगरा के लिये चलता फिरता डाक घर

५९७. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा ज़िले में वर्ष १९५२ में कितने नए डाक घर खोले गए ?

(ख) क्या आगरा शहर में एक चलता फिरता डाक घर खोलने की कोई प्रस्थापना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आगरा ज़िले में १९५२–५३ में खोले गए नए डाक घर :—

ग्रामीण	कोई नहीं
नगरों में	एक

(ख) जी नहीं। चलते फिरते डाक घर खोलने की योजना अभी केवल उन नगरों के लिये ही है जिन की जन संख्या ५ लाख से अधिक है।

भारत का तटीय व्यापार

५९८. **डा० लंका सुन्दरम्** : क्या **यातायात** मन्त्री

(१) भारत के तटीय व्यापार

(२) भारत से बर्मा, पाकिस्तान और लंका के बीच व्यापार, और

(३) भारत के विदेशी व्यापार में ले जाए गए माल की कुल मात्रा और १९५१ तथा १९५२ में इन में से प्रत्येक व्यापार में ले जाए गए माल से प्राप्त भाड़े की कुल राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन में से प्रत्येक व्यापार में भारतीय जहाजों तथा अभारतीय जहाज़ों द्वारा ले जाए गए माल की मात्रा तथा भाड़े के रूप में कमाए गए धन के अलग अलग आंकड़े क्या हैं?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तटीय तथा पड़ौसी देशों के साथ व्यापार में ले जाए गए माल की कुल राशि निम्नलिखित थी :—

	१९५१ डी० डब्ल्यू० टी	१९५२ डी० डब्ल्यू टी०
(१) तटीय	२४.४८ लाख	२४.६६ लाख
(२) पड़ौसी देशों के साथ व्यापार	३२.९६ लाख	३१.३६ लाख

विदेशों के साथ समुद्र पार व्यापार में ले जाए गए माल तथा इन में से प्रत्येक व्यापार में भाड़े के रूप में हुई आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय जहाज़ी कम्पनियों द्वारा १९५१ तथा १९५२ में विभिन्न व्यापारों में ले जाए गए माल तथा कमाए गए भाड़े के अलग अलग आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	माल डी० डब्ल्यू टनों में		भाड़ा (करोड़ रुपयों में)	
	१९५१	१९५२	१९५१-५२	१९५२-५३
(१) तटीय व्यापार	२३,०६,१०१	२३,२७,८४८	८.११	
(२) पड़ोसी देशों से जिन में पाकिस्तान, लंका और बर्मा भी हैं।	७,६४,८१६	६,००,०००		अभी प्राप्त नहीं
(३) समुद्रपार के देशों से व्यापार	७,९६,४६२	४,३०,०००	८.३२	,,
		(पहिले ६ महीनों में)		

तटीय व्यापार में ब्रिटिश जहाज़ी कम्पनियों द्वारा १९५१ में १,४२,१५८, डी० डब्ल्यू० टन माल ले जाया गया।

अभारतीय जहाज़ी कम्पनियों द्वारा पड़ौसी देशों तथा समुद्र पार के व्यापार में ले जाए गए माल तथा इन में से किसी भी व्यापार में कमाए गए भाड़े के सम्बन्ध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय तथा अभारतीय जहाज़ों द्वारा ले जाया गया माल

५९९. **डा० लंका सुन्दरम्** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ और १९५२ में भारत सरकार के स्वामित्व और / या नियन्त्रण में कितने टन माल बाहर से मंगाया गया या भारत से बाहर भेजा गया और उस पर कुल कितना भाड़ा दिया गया ?

(ख) भारतीय तथा अभारतीय जहाज़ों द्वारा इस में से कुल कितना मालले जाया गया और उस पर कितना भाड़ा कमाया गया ?

(ग) १९५१ तथा १९५२ में राज्य सरकारों के स्वामित्व और / या नियन्त्रण में कितने टन माल बाहर से मंगाया गया या भारत से बाहर भेजा गया और उस पर कुल कितना भाड़ा दिया गया ?

(घ) भारतीय तथा अभारतीय जहाज़ों द्वारा ले जाए गए माल तथा कमाए गए भाड़े के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). समुद्र द्वारा व्यापार के लेखों में प्रकाशित, आयात तथा निर्यात के चालू आंकड़े, भिन्न परिमापों तथा मूल्यों में होते हैं और इस आधार पर नहीं रखे जाते कि भारत सरकार या सम्बद्ध राज्य सरकारों के स्वामित्व और / या नियन्त्रण में कितना माल बाहर भेजा गया या बाहर से मंगाया गया। इस सूचना को इकट्ठी करने में जितना प्रयत्न करना पड़ेगा और जो खर्च होगा, इससे उतना लाभ नहीं हो सकता।

वस्तु समितियां

६००. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय कौन कौन सी विभिन्न वस्तु समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) उन में से कितनी स्वायत्त हैं;

(ग) क्या उन सब को स्वायत्त बनाने की कोई प्रस्थापना है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई) :

(क) इस समय काम करने वाली वस्तु समितियों के नाम ये हैं :—

(१) भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति
(२) भारतीय केन्द्रीय तेल बीज समिति
(३) भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति
(४) भारतीय लाख उप-कर समिति
(५) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति
(६) भारतीय केन्द्रीय रूई समिति
(७) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति
(८) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

(ख) सभी स्वायत्त हैं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में डाक के नये डिवीजन

६०१. **श्री के० सी० जेना** : क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५१–५२ में उड़ीसा राज्य में डाक के कोई नए डिवीजन स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में जिले के प्रधान कार्यालयों के लिए तार-घर

६०२. **श्री के० सी० जेना :** क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के कुछ ज़िलों के प्रधान-कार्यालयों में तार घर ही नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे प्रधान कार्यालयों के नाम यहां तार घर नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार है कि ऐसे प्रधान कार्यालयों को तार घरों से मिला दिया जाय; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). केवल एक ही ज़िले, क्योंझरगढ़ का प्रधान कार्यालय तार से सम्बद्ध नहीं है। इस नगर में अभी तक तार घर नहीं खोला गया क्योंकि इस के चलाने पर प्रति वर्ष ५०० रुपये से अधिक हानि होने का अनुमान है और अधिक से अधिक ५०० रुपये प्रतिवर्ष की हानि उठाई जा सकती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) १९५३–५४ में।

श्रमजीवी पत्रकारों के संघ

६०३. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय श्रमजीवी पत्रकारों के संघों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

गन्नावरम् का हवाई अड्डा

६०४. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में गन्नावरम् के हवाई अड्डे को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) किस तिथि को इस पर हवाई कम्पनियों के वायुयान उतरने लगेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय विजयवाड़ा के गन्नावरम् हवाई अड्डे पर जो सुविधायें उपलब्ध हैं वे इस की प्रस्तुत आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं। इस समय इस हवाई अड्डे को सुधारने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही।

(ख) इस हवाई , अड्डे पर हवाई कम्पनियों के वायुयान उतरते हैं और उतरते रहे हैं। क्योंकि विजयवाड़ा से वायुयान में यात्रा करने वालों की संख्या कम है, कोई भी हवाई कम्पनी इस नगर से हवाई सर्विस शुरू करने या वहां हवाई जहाजों के नियमित रूप से ठहरने की व्यवस्था करने के लिये तैयार नहीं।

GIPD—HS—196 PSD—20-10-53—285

मंगलवार,
१७ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१६६५ १६६६

लोक सभा

मंगलवार, १७ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या २२—आदिम जाति क्षेत्र

मांग संख्या २३—वैदेशिक कार्य

मांग संख्या २४—चन्द्र नगर

मांग संख्या २५—वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन संकीर्ण व्यय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों की चर्चा जारी रखेगा।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पूरे चार घंटे हुए जब से यह चर्चा जारी है और इस चर्चा के दौरान में अपेक्षित बातें ही कही गई हैं। साम्यवादी दल के उपनेता जब भारत के रास्तों में 'मैंने स्टालिन को मारा' नामक पुस्तक की बिक्री देखते हैं तब उनकी मृदु आत्मा ठिठुकती है और जब प्रेसीडेन्ट आइज़नहोवर का पुतला कलकत्ते के रास्तों में जलाया जाता है तब उनका साम्यवादी दल हृदय प्रफुल्लित होता है। मेरे सुविख्यात देशबांधव डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा सन्माननीय सदस्य डा० खरे ने भी गोलाबारी की है।

प्रस्तुत किये गये अठारह कटौती प्रस्तावों में से कुछ तो महत्वपूर्ण राजनैतिक बातों से सम्बन्धित हैं और कुछ गौण मामलों के बारे में हैं। महत्वपूर्ण बातों की चर्चा स्वयं प्रधान मन्त्री करेंगे, मैं तो केवल कुछ गौण मामलों पर प्रकाश डालने का नम्र प्रयास करूंगा।

प्रथम, मैं चन्द्र नगर का मामला लूंगा। ९ जून, १९५२ को चन्द्र नगर का नियन्त्रण विधितः हमारे हाथ में आया। अस्थायी प्रबन्ध के रूप में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति उस नगर का प्रशासन सम्हालेंगे और एक प्रशासक द्वारा काम चलायेंगे। उक्त प्रशासक को पांच सदस्यों की एक परामर्श परिषद् सहायता देगी। इन पांच सदस्यों को चुनने में सारे प्रमुख राजकीय दलों से परामर्श किया गया था। आज इस परामर्श समिति में कांग्रेस दल के २, प्रजा पक्ष का १, स्वतन्त्र १ तथा संयुक्त पुरोगामी गुट का १ सदस्य है। किन्तु यह केवल अन्तरिम व्यवस्था है।

प्रशासक की कालावधि में उक्त नगर का प्रशासन बहुत कुछ सुधरा है। यह बात आंकड़ों से साबित हो सकती है। किन्तु हमें

[श्री अनिक के० चन्दा]

विदित है कि स्वशासन का स्थान सुशासन नहीं ले सकता। चन्द्र नगर में व्यस्क मताधिकार के आधार पर यथा शीघ्र चुनाव कराने के हेतु कदम उठाये जा रहे हैं। चन्द्र नगर के भावी प्रशासन के बारे में वहां की जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा।

अब मैं देश त्याग का प्रश्न लूंगा। गत कुछ दिनों में दक्षिण भारत से मलाया में बसने के लिये जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गयी है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। किन्तु हम अकुशल श्रमिकों का बड़ी संख्या में अव्यस्थित देश त्याग नहीं चाहते हैं। भारतीय देशत्याग अधिनियम के अधीन लोगों को कुछ शर्तों पर ही देशत्याग की अनुज्ञा दी जाती है।

मद्रास तथा मलाया के बीच आने जाने वाले दो ही पोत होने तथा देशत्यागेच्छुओं के संरक्षक के कार्यालय में अनुज्ञा-प्रार्थियों की बहुत भीड़ हो जाने के कारण वहां काला बाज़ार खड़ा हुआ है। इस काले बाज़ार से गरीब और सीधे साधे देशत्यागेच्छुओं को बचाने के लिये पूर्ववर्तिता की बुनियाद पर एक व्यवस्था बनायी गयी है। इन लोगों की परेशानी कम करने के हेतु मन्त्रालय ने नवम्बर में एक वरिष्ठ अधिकारी को मद्रास भेजा है। भीड़ अत्यधिक होने के कारण आदर्श प्रबन्ध नहीं किया जा सकता था। किन्तु जितना हो सकता था उतना किया गया है।

कल श्री नायर ने एक मामले का उल्लेख किया जो अभी न्यायाधीन है। अतः उसकी चर्चा करना अनुचित होगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमने सम्बन्धित अधिकारी को उक्त मामले पर अन्तिम निर्णय होने तक छुट्टी लेने के लिये कहा है। हमारे अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर घूसखोरी का कोई विशिष्ट अथवा ठोस आरोप नहीं लगाया गया है।

कल हमारे प्रचार संगठन की बहुत आलोचना की गई। कम से कम पुराने सदस्यों को विदित होगा कि हमारे मन्त्रालय के इस विभाग को अभी तक पर्याप्त निधि नहीं मिलता था। इस काम पर १९५०–५१ में ३० लाख रुपये और १९५१–५२ में ३७ लाख रुपये खर्च किये गये। गतवर्ष से ही इस विभाग को अधिक अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष वैदेशिक प्रचार के लिये हमने ६५ लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। हमने लोक-सेवा आयोग के द्वारा पर्याप्त कर्मचारी वृन्द भर्ती किया है और मुझे विश्वास है कि इसके बाद हमारे प्रचार संगठन के बारे में कोई शिकायत नहीं होगी।

श्रीमती कृपलानी ने आलोचना की कि विदेशों में हम केवल प्राचीन भारत से सम्बन्धित प्रचार-साहित्य वितरित करते हैं। आधुनिक भारत के विषय में नहीं। अब तक कुल ७२ पुस्तिकायें प्रकाशित की गईं जिनमें से ७१ पुस्तिकाओं में आधुनिक भारत की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का वर्णन दिया गया है। केवल एक पुस्तिका में प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्णन दिया गया है। इसी प्रकार हमने कुल ८६ रूपक लेख वितरित किये जिनमें से ८३ आधुनिक भारत के और ३ प्राचीन भारत के विषय में थे। वैदेशिक प्रचार विभाग द्वारा जो पांच संक्षिप्त पत्रिकायें प्रकाशित की जाती हैं उनमें आधुनिक भारत की दैनदिन वार्ताएं तथा रायें दी जाती हैं।

अब मैं मन्त्रालय तथा दूतावासों में मितव्यय करने का प्रश्न लेना चाहता हूं। यह धारणा सार्वत्रिक बन गयी है कि हमारे विदेशी दूतावासों में मुक्त हस्त से पैसा उड़ाया

जाता है। लेकिन यह धारणा गलत है। दूतावासों में खर्च होने वाली छोटी से छोटी राशि पर भी मन्त्रालय का नियन्त्रण है। मुझे खुशी हुई कि श्रीमती कृपलानी ने यूगोस्लाविया में स्वतन्त्र दूतावास खोलने की सिफारिश की। किन्तु वित्तीय त्रुटि के कारण हम वह कर नहीं पाये हैं। ऐसे और भी अनेक देश हैं जहां दूतावास खोलना आवश्यक है किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम अपने एक ही राजदूत के द्वारा अनेक देशों का काम करवाते हैं। फिनलैंड तथा डेन्मार्क का काम एक राजदूत सम्हालता है। उसी प्रकार, फ्रांस तथा नार्वे का, इटली तथा युगोस्लाविया का और मिस्र, सीरिया, लेबनॉन तथा जॉर्डन का काम एक एक राजदूत सम्हालता है। यह सूची और भी बढ़ायी जा सकती है।

अब मैं कुछ आंकड़ों की बात कहूंगा। १९५३–५४ में वैदेशिक कार्य के सारे क्षेत्र में हमारा संकल्पित व्यय ९६८ लाख रुपए का है। इस राशि में से ३४·३५ लाख रुपए वेतन पर तथा ३८·८५ लाख रुपए ६६ दूतावासों के अधिकारियों के वैदेशिक तथा अन्य भत्तों पर खर्च होंगे। इन राशियों में लन्दन के दूतावास का समावेश नहीं किया गया है। अतः वेतन तथा भत्तों पर हम सारी राशि के ८ प्रतिशत से भी कम पैसा खर्च करते हैं। अर्थात् प्रत्येक दूतावास पर औसत १·११ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। इस मन्त्रालय के लिये कुल जो ९६८ लाख रुपये मांगे गये हैं उनमें से सब प्रकार के संकीर्ण दायित्वों को निभाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, इस में से आदिम जाति-क्षेत्रों के लिये ३७८·५३ लाख रुपए, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा सम्बन्धित निकायों के लिये ६९·९ लाख रुपए, कुछ पड़ौसी राज्यों को सहायता के रूप में ३० लाख रुपए और इसी प्रकार के अन्य कई खर्च करने पड़ते हैं। यदि ये सारे खर्च अलग अलग किये जायें तो इस मन्त्रालय द्वारा केवल ४१८ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे इस राशि में से लन्दन के उच्च आयुक्त के कार्यालय के समवेत सब विदेशीय दूतावासों पर २९२·९५ लाख रुपये खर्च होते हैं। अतः विदेशों में राजनयिक दूत रखने के लिये संघ राज्य के आय व्ययक की कुल राशि का १ प्रतिशत से भी कम अंश खर्च होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि शान्त चित्त से विचार करने पर आप यह स्वीकार करेंगे कि सापेक्षतः अल्प धन उपलब्ध होते हुए भी हमने खूब अच्छा काम कर दिखाया है और हमें अपने कर्त्तव्य पर सयुक्तिक अभिमान हो सकता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व): विरोधी दलों के सदस्यों ने इस चर्चा में अत्यन्त अव्यवस्थित तथा पुनरुक्तिपूर्ण भाषण दिये हैं। साम्यवादी दल के उपनेता ने हमारी विदेश नीति को निर्बुद्ध तथा निष्प्राण बतलाया है तथा हमें आंग्ल-अमरीकी गुट के पिट्ठू कहा है। और एक वक्ता ने हमारी नीति को अरण्यरुदन का नाम दिया है। ये सारी आलोचनाएं सुन कर मुझे उन लोगों की याद आती है जो किसी व्यवस्था को दोष लगाना ही जानते हैं। जिन लोगों ने सन् १९५० में हम पर रूस के लिये मित्र होने का कड़ा आरोप लगाया वे ही अब हम पर अमरीकी गुट में शामिल होने का आरोप लगाते हैं।

मैं यहां वह पत्र पढ़ कर सुनाना चाहती हूं जो वार्सेलीस के शान्ति-सम्मेलन के अध्यक्ष श्री क्लेमेन्सू को लोकमान्य तिलक द्वारा भेजा गया था। स्वर्गीय तिलक ने लिखा था:

> "भारत स्वयं पूर्ण है और विदेशों पर आक्रमण करना नहीं चाहता। उसका विस्तृत क्षेत्र, विशाल जनसंख्या तथा अपार सम्पत्ति के कारण वह एशिया में एक

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

प्रमुख शक्ति बन सकता है। अतः संसार में शान्ति बनायी रख कर वह लीग आफ नेशन्स का समर्थ सेवक बन सकता है।"

यही हमारी विदेश नीति है। इन्हीं सिद्धान्तों पर हम चलते आये हैं और हम कभी विचलित नहीं हुए। विरोधी दलों के जो सदस्य हमारे स्वातन्त्र्य संग्राम में बाधा डालने का काम करते आये हैं वे ही आज स्वातन्त्र्य की सुरक्षा के बारे में सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। यह नवोदित सहानुभूति विषैली और गूढ़ है। हिन्दी में एक लोकोक्ति है कि : "अगर कोई दूसरी औरत बच्चे को उसकी मां से अधिक प्यार करे तो उसे डाइन समझना चाहिए।"

हमारी विदेश नीति पर पहिला आरोप यह लगाया जाता है कि वह संदिग्ध, भ्रमोत्पादक तथा विसंगत है। यह आरोप निराधार है। हमने अपने सिद्धान्तों में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया। विदेश नीति तथा गृह नीति के बीच सबसे बड़ा अन्तर यह है कि गृह नीति में हम चाहे जो कर सकते हैं किन्तु विदेश नीति में हमारे हाथ बाह्य परिस्थिति से बंधे हुए रहते हैं। विदेश नीति कभी स्थिर नहीं रह सकती। बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार देश के हितों का संरक्षण करना यही वैदेशिक कार्य मन्त्री का काम होता है। हमारे प्रधान मन्त्री के ऊंचे तत्वों के आवरण के नीचे यह सावधानी सदैव मौजूद होती है। यदि मेरे माननीय मित्र उसे समझ नहीं पाते हैं तो वह दुःख की बात है। मैं कहना चाहती हूं कि : "भैंस के आगे बीन बजाये, भैंस पड़ी पगुराई"।

विरोधी सदस्यों द्वारा कितने मनमौजी प्रस्ताव पेश किये गये हैं? कहा गया है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संगठन से तथा राष्ट्र मण्डल से हट जाना चाहिये। भारत अपनी खिचड़ी अलग नहीं पका सकता। वह अत्यन्त दरिद्री देश है और उसे चंचल वृत्ति से प्रेरित होकर अन्य देशों से सम्बन्ध नहीं तोड़ने चाहियें। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संगठन का आज तक का इतिहास कोई खास उत्साहवर्धक नहीं है, फिर भी जागतिक समस्यायें सुलझाने का वही एकमात्र साधन है। जागतिक समस्यायें सुलझाने के लिये सदा नये नये सुझाव देते रहते हैं। यद्यपि हमारे सुझावों को एक राय से स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी सब लोग उनका आदर करते हैं। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन की साधारण सभा में हमारा १७ कलमी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। केवल रूस और चीन ने उसे अस्वीकार किया। यह अस्वीकार खेदजनक अवश्य था किन्तु आश्चर्यजनक नहीं था। यह जाहिर है कि २५ वर्ष तक सन्देहशील जीवन बिताने के कारण रूस पूर्णतया विकृतमनस्क हो गया है। चीन का धर्म परिवर्तन तो अभी अभी हुआ है और नया मुसलमान जोर से बांग देता ही है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब दुनिया थक गई है और कोई शीत या गरम युद्ध नहीं चाहती है। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा काश्मीर के प्रश्न में हमें कोई सहयोग न मिलते हुए भी हमारे प्रधान मन्त्री उसके साथ जो सहकार्य करते हैं वह उचित ही है।

श्री लंका तथा पाकिस्तान के विषय में भारत ने जो नीति अपनाई है उसमें मेरा प्रधान मन्त्री से, उनका पूरा आदर करते हुए भी, मतभेद है। भारतीयों को नागरिकत्व के पूरे अधिकार देना भी, अस्वीकार कर, वह उन से दुर्व्यवहार कर रहा है। फिर भी हमने गत वर्ष अपने मुंह से चावल निकाल श्री लंका को दिया। यह अस्थानी औदार्य क्यों बरता जाता है?

पाकिस्तान के बारे में यही बात है। वास्तव में पाकिस्तान का व्यवहार हमारे लिये असह्य हो रहा है। फिर भी हम उससे अत्यन्त मृदुता से पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान के "डॉन" जैसे अख़बार निरन्तर युद्ध की घोषणाएं करते हैं। पाकिस्तान युद्ध की तैयारियां कर रहा है। हमारा देश पाकिस्तान के प्रति सतत उदार नहीं रह सकता जब कि वह उसका कोई प्रतिफल ही नहीं देता। हम अभी युद्ध की घोषणा तो नहीं कर सकते किन्तु भारत को पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तुरन्त तोड़ देना चाहिये। हमारी थोड़ी दृढ़ता का परिचय देते ही पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेक देगा।

अन्त में मैं प्रधान मन्त्री को उनकी वैदेशिक नीति पर बधाई देती हूं। उनकी नीति के कारण दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): हमारी वैदेशिक नीति में जो बहाव जारी है उसकी ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने एक कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

कल मेरे माननीय मित्र श्री शिव राव ने अपने भाषण में मेरे कटौती प्रस्ताव का उल्लेख किया और बताया कि दुनिया में वर्ष प्रति वर्ष हमारे प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आप को स्मरण होगा कि गत वर्ष इसी सदन में मैंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था। जब इस प्रतिष्ठा का धुवां उड़ा कर तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जाती है तब मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति का मूल्यमापन उसकी सफलता विफलता पर निर्भर रहेगा। हमें वैदेशिक कार्य मन्त्रालय का जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें फ्रांस, पोर्तुगाल तथा श्री लंका के साथ हम ने जो वार्तालाप किये वे निष्फल रहने की बात कही गई है। भारत की इन विफलताओं को प्रधान मन्त्री की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की आड़ में भुलाया नहीं जा सकता। इसी सम्बन्ध में मैं गत सप्ताह इस सदन में हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मार्शल स्टालिन की मृत्यु के बारे में वक्तव्य देते हुए प्रधान मन्त्री ने मार्शल स्टालिन की गौरवपूर्ण प्रशंसा की। जब कभी आधुनिक भारत का तथा उसकी वैदेशिक नीति का इतिहास लिखा जाएगा तब उस में केवल इसी एक घटना का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। क्योंकि इस भाषण के कारण हमारी वैदेशिक नीति म एक नया युग आरम्भ होता है।

जब हमारे प्रधान मन्त्री के तेजस्वी वक्तव्य से सारी दुनिया गूंज रही है उसी समय हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूत श्री जान फोस्टर डलेस की भारत की यात्रा के प्रबन्ध की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक भारत में अनेक विदेशी राज प्रतिनिधि आये हैं। मेरी राय में वाशिंगटन स्थित राजदूत द्वारा किये जाने वाले प्रबन्धों का इतना अधिक प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है कि किसी पित्तोन्माद-जन्य घबराहट के कारण .....

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माफ कीजिये, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य किन प्रबन्धों का निर्देश कर रहे हैं? मुझे तो किसी प्रबन्ध का पता नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम्: समाचार पत्रों में वार्ताएं प्रकाशित हुई हैं कि हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूत प्रबन्ध कर रहे हैं.....

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वहां से कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है।

डा० लंका सुन्दरम् : प्रधान मन्त्री के स्पष्टीकरण से मेरा समाधान हो गया है।

मैं कहना चाहता था कि हम दो अन्तिम बिन्दुओं के बीच झूल रहे हैं। इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं राष्ट्र मण्डल तथा रानी के राज्याभिषेक के बारे में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। इस महीने की ११ तारीख को ब्रिटेन के राष्ट्र मण्डल सम्पर्क मन्त्री लार्ड स्विंटन ने लार्ड सभा में जो भाषण दिया उसका वृत्तान्त मेरे सामने है। उसमें बताया गया है कि ब्रिटिश रानी की पदवी में "राष्ट्र मण्डल की मुखिया" यह वाक्यांश शामिल होगा; और राष्ट्र मण्डल का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र विधेयक द्वारा इस पदवी को मान्यता देगा। मैं सदन के माननीय नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसी प्रकार का विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने वाले हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं ह। इससे भारत का कोई वास्ता नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् : यहां मेरे पास यह वृत्तान्त है, और यदि आवश्यकता हो तो मैं उसे सदन पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मन्त्री यहां हैं। लार्ड स्विंटन के भाषण में कुछ भी कहा हो, हमारे प्रधान मन्त्री जो कहते हैं वही हमारे लिये विश्वसनीय है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने जो पढ़ कर सुनाया वह बिल्कुल सही है। किन्तु उसका भारत से कोई वास्ता नहीं है। जो अन्य देश रानी का सार्वभौमत्व स्वीकार करते हैं उनके बारे में वह सही है। लेकिन भारत म रानी को सार्वभौम नहीं माना जाता।

डा० लंका सुन्दरम् : मुझे प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन पर सन्तोष है कि इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

आपको स्मरण होगा कि गतवर्ष मैंने प्रधान मन्त्री से विरोधी दलों के सदस्यों के साथ परामर्श करने के लिये कोई व्यवस्था कायम करने की प्रार्थना की थी। ता० १२ जून को उक्त चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय प्रधान मन्त्री ने उस सूचना का स्वागत किया था। तत्पश्चात् ता० २ जुलाई को माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन के आधार पर कुछ प्रारम्भिक बातचीत हुई थी। उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। मैंने इसके बारे में प्रधान मन्त्री को जब याद दिलाई तब उन्होंने बताया कि ता० २ जुलाई की कार्यवाही का निर्देश समाचार पत्रों में किये जाने के कारण अब अधिक बैठकें बुलाने के विषय में वे हिचकिचाते हैं। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य अविवेक का परिचय देता है तो उसे सदन की समितियों में नहीं लिया जाना चाहिये। परन्तु इसके परिणामस्वरूप विरोधी दलों के सदस्यों के साथ विचार विनिमय बन्द नहीं किया जाना चाहिये : अभी तक वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को प्रत्येक प्रश्न का सर्वांगपूर्ण तथा निरन्तर अध्ययन करने वाला 'ज्ञान मण्डल' बनाने में यश नहीं प्राप्त हुआ है। मुझे अत्यधिक सन्देह है कि कई बार माननीय प्रधान मन्त्री की वैदेशिक नीति के बारे में अपसमज फैलता है अथवा फैलाया जाता है। यदि माननीय प्रधान मन्त्री मेरा सुझाव स्वीकार कर लेंगे तो उपर्युक्त धोखा टल जाएगा।

डा० सय्यद महमूद (चम्पारन पूर्व) : डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का एतराज थोड़ा समझ में आ सकता है लेकिन हमारे प्रोफेसर मुकर्जी का एतराज फारेन पालेसी

(परराष्ट्र नीति) के मुतअलिक किसी तरह भी समझ में नहीं आता। उन को शायद याद होगा और याद है कि हिन्दुस्तान पहला मुल्क था जिसने चीन को रीकगनाईज किया। यही नहीं कि चीन की इस नई गवर्नमेंट ो रीकगनाईज किया (मान्यता दी) बल्कि इंगलिस्तान और कामनवैल्थ के दूसरे मुल्कों को ग़ालबन अपने असर से, बल्कि मुझे तो यकीन है कि हिन्दुस्तान के असर से इंगलैण्ड ने भी चीन को रीकगनाईज किया। यह एक फंडामैंटल बात है। हिन्दुस्तान ने ऐसा सलिये नहीं किया क्योंकि चीन कम्यूनिस्ट मुल्क था बल्कि चीन का हक था कि उसको रीकगनाईज किया जाये। चीन को रीकगनाईज करना जरूरी था इस लिये हिन्दुस्तान ने ऐसा किया और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दी अब भला बतलाइये इससे बढ़कर और क्या चीज एक कम्यूनिस्ट के लिये हिन्दुस्तान की फारेन पालेसी कर सकती थी। इस के अलावा हिन्दुस्तान की एकानामी का तालुक समुद्री है और इस में भी कोई शुबा नहीं कि हिन्दुस्तान की एकानामी का तालुक इंगलिस्तान की एकानामी से रहा है और बहुत मुमकिन था कि अगर कोई दूसरा फारेन मिनिस्टर होता तो वह इन असरात में बह जाता क्योंकि हम को ऐसे मुल्कों से जो कि समुद्री ताकत रखते हैं मदद की जरूरत थी। लेकिन बावजूद इन जरूरतों के और बावजूद इस सम्बन्ध के जो इंगलैण्ड की एकानामी से हमारा रहा है हम ने जिस बहादुरी से और अपने इंटरैस्ट्स का भी ख्याल न करके जो जो स्ट्रेट लाईन फारेन पालेसी में हो सकती इख्तियार किया। यह वाकई बहुत बड़ी बात है। फारेन पालेसी को दो चीजें एकानामी और मिलिटरी की जरूरत हुआ करती है। हम ने शरू ही से तै किया कि हम एक लेबर वलफेयर स्टेट बनायेंगे और उस को बनाने के लिये जरूरी था कि हम मुल्क में सुलह व शान्ति और अमन चन कायम करें और ऐसी वैल्फेयर स्टेट बनाने के लिए यह जरूरी था कि हम अपने सारे असर जो इस में सर्फ करें और यह मुनासिब भी था कि हम अपने एकानामिक इंटरैस्ट्स के मुताबिक ऐसी फारेन पालेसी बनाते।

यही नहीं कि हमारा एकानामी का इंटरैस्ट था। बल्कि सारी वैस्टर्न एशियन कन्ट्रीज का इंटरैस्ट था कि ऐसी फोरेन पालेसी हो कि हम किसी ब्लाक में शामिल न हों।

इसके मिलिटरी का इंटरैस्ट हमें देखना है। अपने फ्रन्टीअर्स (सीमाओं) को सेफगार्ड (सुरक्षित) करने से फारेन पालेसी डिटरमाईन (निश्चित) होती है। हमारे इंटरैस्ट में नहीं था कि हम रशिया और चाईना से लड़ते। इस वक्त जब उन्होंने हिमालय में बेसिस बनाये उस वक्त हम दूसरे ब्लाक में शरीक होकर उनको खफा नहीं कर सकते थे।

दूसरी तरफ मीडो का जो साउथ एशियन आरगेनाईजेशन बन रहा है, या बना है, जिस से हम को और दूसरे एशियन कन्ट्रीज को खतरा लाहक है इस हालत में हम रूस या चाईना की तरफ होकर क्या अपनी आजादी को कायम रख सकते थे। डाक्टर मुकर्जी ने कहा कि हमारी फारेन पालेसी इंडिपेंडेंट फारेन पालेसी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस से ज्यादा इंडिपेंडेंट फारेन पालेसी क्या हो सकती थी। बहर हाल एकानामी और मिलिटरी दोनों के लिए जरूरी था कि हमारी फारेन पालेसी ऐसी हो। एकानामीकल बात तो यह थी कि हम अपनी सारी एनर्जी अपने को वैल्फेयर स्टेट बनाने में सर्फ करें। दुनिया में सुलाह रहे ताकि हमें अपने आप को वैल्फेयर स्टेट बनाने का मौका मिले। मिलिटरी के मुतअलिक आज खतूत मिले। इस वक्त हम को एक बहुत बड़ा स्टैप लेना है। आज की जो खतरनाक खबर है कि एशिया में एक बहुत बड़ी फौज बनाई जा रही है जिस की वजह

[डा० सय्यद महमूद]

से यह पता चलता है कि शायद इम्पीरियलिस्म ने फिर से सर उठाया है और एशिया में एशियाटिक फौजें बड़ी तादाद में भरती की जायेंगी जो एशियन मुल्कों से लड़ेंगी। इसलिये बेशक हम को एक डैफिनिट स्टैप साउथ ईस्ट एशिया और वैस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया के मुआमलात में उठाना है और वह वही है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एरिया के नाम से डिफाईन किया है वह आईडिया उन का मुद्दत से रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसम डैफिनिट स्टैप लें और इस तरफ आगे बढ़ें। गुजश्ता चन्द दिनों में आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने भी इस बारे में बहुत कुछ हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान मिनिस्टर्स ने और पाकिस्तान प्रेस ने इस बारे में बहुत कुछ हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है। पाकिस्तान भूला भटका रहा है लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अब भी अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है और समझा है कि इसका अपना इंटरैस्ट हिंदुस्तान के साथ है न कि दूसरी तरफ शरीक होने से, मीडो में शरीक होने से तो हम को भी डैफिनिट स्टैप लेना है और हम एक एरिया बनायें जिस में कि तमाम ईस्टर्न वैस्टर्न मुल्क शरीक हों यह ठीक है कि तीसरा एरिया बना कर हम किसी ब्लाक का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लड़ाई के रोकने में हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम ने यह किया, जैसा कि गालबन हम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम को इस में बहुत कुछ कामयाबी हासिल होगी।

प्रोफेसर मुकर्जी ने नैपाल का जिक्र किया है। और इस सिलसिले में इस रैजोल्यूशन का भी जिक्र किया है जो वहां की कांग्रेस के एक गिरोह ने पास किया है इस में कहा गया ह कि हम को वहां से अपने टैकनीशियन्स और मिलिटरी मिशन को वापस बुला लेना चाहिये। इस से उन्होंने साबित करना चाहा है कि हम ने नेपाल में जो पालेसी इख्तियार की है वह बिल्कुल बेकार थी और इस से सख्त नुकसान हम को हुआ। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि यह जो कुछ हुआ वह नेपालियों के झगड़े की वजह से हुआ है। वहां बदकिस्मती से दो गिरोह हैं। उन दो के झगड़े की वजह से ऐसा हुआ। जब यही लोग नेपाल की हुकूमत में थे, उन्होंने लोगों के कहने पर उन्हीं लोगों के बुलाने पर यहां से मिलिटरी मिशन गया था। और वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स या टैकनिशिन्स भेजे गये। आज उनका एक गिरोह लड़ाई की वजह से एतराज करता है लेकिन इस से हम ने जो कुछ नेपाल में किया उस से हमारी नाकामयाबी नहीं साबित होती।

दूसरी चीज यह कि मलाया के मुतअलिक एतराज किया गया, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि यह हमारी फारेन पालेसी का उस से कोई तालुक है लेकिन यह फैक्ट है कि वहां की आबादी उस वक्त हिन्दुस्तानियों के खिलाफ है, इस वजह से कि वहां गोरखे इस्तैमाल किये गये। वह समझते हैं कि तमाम गोरखा फौज हिन्दुस्तानी है। और इसी लिये हम पर शुबाह करते हैं। वह इस को नहीं समझते कि इस मुआमला में हमारा कोई तालुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यह खराब असर वहां पड़ रहा है तो हम को उसका इलाज करना जरूरी है।

डाक्टर मुकर्जी ने यह फरमाया था कि वह लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई नहीं होनी चाहिये लेकिन फिर भी हम को "एलिटल स्ट्रैंगथ" दिखलानी चाहिये। अगर वह यह कहते कि वह लड़ाई चाहते हैं तब तो शायद एक आदमी इस को समझ सकता था कि

ठीक है । नतीजा कुछ भी हो कितनी ही बेमानी चीज लड़ाई हो, लेकिन वह जरूरी समझते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं लिटल सट्रैंग्थ के मानी नहीं समझ सकता। यह चीज़ उन्होंने बार बार कही क्या इससे उनका मतलब यह है कि हम चढ़ा कर खत लिखें कि देखो अब तुम ने आगे कुछ किया तो हम आ जायेंगे। अब हम हमला कर देंगे, उन को जानना चाहिये कि हमारे मुल्क के गुरु गांधी जी ने हम को यह नहीं समझाया। जब हम कुछ भी इरादा करें लड़ाई का तो हमारे पीछे कुछ सैंक्शन जरूर होना चाहिये। अगर हम इरादा करते हैं, कोई सख्त अलफाज लिखते हैं या धमकी देते हैं तो उसके मानी यह हैं कि अगर धमकी का असर न हो तो हमें लड़ाई के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

एक तरफ तो वह कहते हैं कि वह लड़ाई नहीं चाहते दूसरी तरफ कहते हैं कि लिटल सट्रैंग्थ दिखलानी चाहिये। अगर सख्त अल-फाज लिखे जायें तो उसका कुछ असर होना चाहिये और अगर नहीं होता तो फिर हमें लड़ाई के लिये तैयार रहना चाहिये।

यह फारेन पालेसी की कामयाबी नहीं है तो और क्या है कि हम ने तमाम एशिया में कोलोनियालिस्म के खिलाफ एक लहर दौड़ा दी है । हम ने अपने हिन्दुस्तान के फेवर में और हिन्दुस्तान की आनेस्ट और स्ट्रेट फार्वर्ड फारेन पालेसी के लिये एक जबरदस्त पब्लिक ओपीनियन तमाम एशिया में कायम की है। तमाम एशियाटिक मुल्क वैस्टर्न एशिया के एक तरफ और ईस्टर्न एशिया, इंडोनेशिया वगैरह दूसरी तरफ हमारी तरफ देख रहे हैं। यह इसलिए कि वह हमारी फारेन पालेसी को एक मुनासिब पालेसी समझते हैं। सभी के साथ हमारी सिम्पेथी है किसी के साथ इस के खिलाफ करने का मंशा नहीं है । इसके अलावा हम ने सूडान में क्या किया, यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किबल इसके कि जनरल नजीब आये, मिसर की पालेसी क्या थी। अंग्रेजों के मुकाबिले में कि सूडान और स्वेज कैनाल का मसला एक साथ तै हो। अंग्रेज यह कहते थे कि हम एक साथ तै नहीं कर सकते । दूसरे वह कहते थे कि सूडान का तालुक सिर्फ मिसर से है और उसको मिसर के साथ रहना चाहिये। उन दोनों बातों पर बार बार कान्फ्रेन्स हुई। मैं याद दिलाता हूं कि जनरल नजीब के आने से कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान ने अपने किसी कम्यूनिकेशन में मिसर को यह कहा था कि मिसर की पालेसी यह होनी चाहिये । अल्फाज क्या थे यह तो मैं नहीं जानता मगर मतलब यही था कि सूडान बिल्कुल खुद मुख्त्यार हो और जिस तरह को गवर्नमेंट वह अपने वोट तै करे वही हो। उस वक्त की गवर्नमेंट पर उसका असर नहीं हुआ मगर जब जनरल नजीब आये तो उन्होंने गालबन, बल्कि यकीनी तौर पर हिन्दुस्तान की सलाह पर अमल किया। क्योंकि वह बार बार हिन्दुस्तान की तरफ देखते हैं इसलिये उन्होंने जरूर ऐसा हिन्दुस्तान की सलाह से किया होगा। यहां तक कि लोग कहने लगे हैं कि जनरल नजीब सैकंड नेहरू आफ एशिया है इससे पता चलता है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की सलाह को माना है और उसमें उनको कामयाबी हुई है और कम से कम सूडान का मसला तै हो गया है दूसरा मसला सामने है। देखना है कि होता क्या है तो इतनी चीजें हम ने कहीं। लिहाजा हम ने जबर-दस्त कार्रवाई की जिस तरह हम ने लीबिया के लोगों पर अहसान किया उस का शुक्रिया करने उनका डेलीगेशन आया था। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका असर उन तक पहुंचा है। मैं तो कहता हूं कि हमारी फारेन पालेसी ने यह असर किया है कि हम अपना फ्रन्टियर इंडोनेशिया तक बना रहे हैं। फौजों के जरिये नहीं, बल्कि वहां के लोगों के दिल पर कब्जा करके। यह चीज हम ने गांधी जी से सीखी

[डा० सैय्यद महमूद]

है। उस से कहीं ज्यादा बड़ा फ्रन्टियर बनता है कि हम उनके दिलों पर कब्जा करें और वह हमारी तरफ देखें। अभी दिल्ली में चन्द हफ्ते हुए कि एक एशियाटिक फारेन डिप्लोमेट ने मुझ से कहा था कि तुम्हारी फारेनी पालेसी ऐसी ईमानदारी की है कि पंडित नेहरू न सिर्फ हिन्दुस्तान के लीडर हैं बल्कि हमारे भी लीडर हो गये हैं।

इतना बड़ा असर तमाम एशिया में है फिर भी आप कहते हैं कि हमारी फारेन पालेसी नाकामयाब रही। हमारी फारेन पालेसी न इंडीपेंडेंट है और न स्ट्रेट है। ताजुब है अगर आंख बन्द करके एतराज करना है तो दूसरी बात है।

मैं सिर्फ एक लफज और कहूंगा। अपोजीशन की तमाम स्पीचिज में मैंने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव सज्जेशन पाया और वह मिसिस सुचेता कृपलानी की स्पीच में। उन्होंने दो बातें कही थीं जिन में से एक का तो मैं जिकर कर चुका हूं। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े मुल्कों के बजाये छोटे मुल्कों पर नजर डालें और उनको अपनी तरफ खींचें। वैसे वह मुल्क खुद हमारी फारेन पालेसी की ईमानदारी की वजह से हमारी तरफ खिंचे हुए हैं अब उनको सिर्फ एक लड़ी में पिरो देना है। इतना काम बाकी है मैं समझता हूं कि वह उन का कंस्ट्रक्टिव सज्जैशन था और उम्मीद है कि उस तरफ हम आगे कदम बढ़ायेंगे।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम :--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : उद्घोषित नीति कार्यान्वित की जाने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमने एक भी गलती नहीं की।

हमारे में से बहुत सारे सदस्य भूल जाते ह कि हमें विदेश नीति दलगत राजनीति से ऊपर रखनी चाहिये। हमारी विदेश नीति में एक किस्म की सुसंगतता तथा एकता होनी चाहिये।

जब हम कोई प्रतिनिधि मंडल विदेश में भेजते हैं, तब हमें उसमें सुयोग्य व्यक्ति नियुक्त करने की सावधानी रखनी चाहिये। जिस उद्देश्य के लिये हम प्रतिनिधि भेजते हैं उस उद्देश्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिये। जब हम जागतिक लोकमत पर प्रभाव डालने का इरादा कर रहे हैं तब उस महान् कार्य के लिये आवश्यक व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का दल बनाने के लिये हम क्या कर रहे हैं? क्या दलगत राजनीतिज्ञों को हम विदेशों में हमारे राजदूत बना कर भेजने वाले हैं?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में सुधार का काफ़ी अवकाश है। इसके लिये इस मन्त्रालय को संकुचित दृष्टिकोण त्याग कर यह मान लेना चाहिये कि वैदेशिक नीति सारे राष्ट्र की नीति होनी चाहिये। अर्थात् वैदेशिक नीति निर्धारित करते समय सारे दलों से परामर्श किया जाना चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि किसी दल की सरकार होने पर भी हमारी विदेश नीति की सुसंगतता तथा एकता अविच्छिन्न रहेगी।

यदि हमारी कोई फलदायी विदेश नीति है तो उसका प्रतिबिम्ब हमारे व्यापार तथा वाणिज्य पर पड़ना चाहिये, हमारे आयात निर्यातों पर पड़ना चाहिये। प्रभावशाली वैदेशिक नीति की यही कसौटी है। हम तो राष्ट्रीय विदेश नीति की बातें कर रहे हैं किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि हम हमारी विदेश नीति की सफलता के बारे में जितना दावा करते हैं क्या उतनी मात्रा में सचमुच हमें लाभ हुआ है? हम ने बृहम्म देश को ऋण दिया है परन्तु वह तो श्री लंका से चाय

खरीदना पसन्द करता है। दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय उद्गम के लोगों से किस प्रकार बर्ताव किया जाता है ? इन सारी छोटी मोटी बातों पर हमारी विदेश नीति का प्रभाव पड़ना चाहिये। पाकिस्तान आपको विमान द्वारा सीधे काबुल नहीं जाने देता और कराची द्वारा काबुल जाने का खर्चीला मार्ग लेने पर विवश करता है। इसके जबाव में आप पाकिस्तानी विमानों को भारतीय नभो मंडल में से जाने न दीजिये। दूसरे ही दिन उनकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी।

सर्वसाधारणतः मैं वर्तमान सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता हूं, किन्तु मैं उसे इस भ्रम में भी नहीं रखना चाहता हूं कि उसकी कार्यप्रणाली पूर्णतया निर्दोष है।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मुझे कल सानन्द आश्चर्य हुआ जब साम्यवादी दल के उपनेता प्रा० हीरेन मुकर्जी ने नेताजी की सुन्दर प्रशंसा से अपना भाषण आरम्भ किया। जब श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र संगठन में प्रवेश देने का प्रश्न खड़ा हुआ तब सोवियत रूस ने उसका विरोध किया और हमारे साम्यवादी भाइयों ने उस वक्त मौन धारण कर लिया। और अब श्रीलंका ने चीन को रबड़ देने के बाद हमारे साम्यवादी मित्र श्रीलंका पर सहानुभूति की वर्षा कर रहे हैं। साम्यवादी दल के कार्यकारी नेता ने उपनिवेशवाद विषयक हमारी कार्यवाही की आलोचना की। मैं नहीं जानता कि क्या वे उन सब कदमों को भूल गये हैं जो हमने इंडोनेशिया, लीबिया, आदि के बारे में उठाये थे। वे तो केवल मलाया, हिन्द चीन तथा कोरिया के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन इन देशों में आंग्ल-अमरीकी गुट और साम्यवादी गुट के बीच संघर्ष जारी है। अतः वहां की परिस्थिति में हस्तक्षेप करना हमारे लिये उचित नहीं है

कल श्री पुन्नूस ने पूछा कि हमने कोरिया की समस्या सुलझाने के लिये जो प्रस्ताव रखा है वह जेनेवा अभिसमय के साथ कैसे सुसंगत है। किन्तु यह तो केवल व्याख्या करने का सवाल है। यह बात जाहिर है कि कोरिया में युद्धबन्दी की वार्ता की दौरान में अन्य सब विवादों में समझौता हो गया सिवाय इसके कि युद्धबन्दियों की अदला बदल कैसे की जाए। इसी समस्या को सुलझाने के लिये सन्मानीय तरीका निकालने की कोशिश हम करते आये हैं।

हमारे देश की समय बेसमय अवहेलना करना तो बिल्कुल आसान है। साम्यवादी दल के नेता जो इस समय रूस में हैं और वहां से चिट्ठियां भेजते हैं, उन्होंने स्वाभाविकतः स्तालिनग्राद तथा वोल्गा-डान बांध को भेंट दी। लेकिन उन दृश्यों की अत्यधिक प्रशंसा करते समय उन्हें भाखरा नांगल, हिराकुंड दामोदर घाटी, आदि प्रचन्ड योजनाओं की याद नहीं आयी। जब हमारे ही लोग बाहर जाकर अपने देश की अवहेलना करते हैं तब दुनिया में इस देश की इज्जत बढ़ने की अपेक्षा कैसी की जा सकती है ?

रूस के साथ हमारे व्यापार के विषय में भी कुछ कहा गया है। यहां तो स्पर्धा के आधार पर खुला व्यापार चलता है। यदि रूस अन्य देशों की तुलना में सस्ती दरों से चीजें दे सकता है तो हमें उन्हें खरीदने में को ऐतराज नहीं है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

अब मैं राज्यारोहण के विषय में कुछ कहूंगा। वह ब्रिटिश लोगों का एक बड़ा उत्सव है। इसलिये हमारे प्रधान मन्त्री उसमें शामिल हुए। यदि महान् मेलेन्कोफ ने आगे कभी राज्यरोहण करवाया तो हम उनकी खुशियों में भी शामिल होंगे।

[श्री रघुरामय्या]

श्री डलेस की भेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनका सहर्ष स्वागत न करने से हमारी अतिथ्यशीलता पर कलंक लग जाएगा।

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचेरि) : जो लोग भारत स्थित विदेश बस्तियों से दूर रहते हैं उन्हें उन क्षेत्रों के अस्तित्व से पैदा होने वाली समस्याओं का उचित आकलन नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि उनके कारण हमारे देश का स्वातन्त्र्य अपूर्ण रह जाता है। स्वातन्त्र्य प्राप्ति के बाद शुरू शुरू में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इन विदेशी बस्तियों के विरुद्ध बहुत कड़ी भाषा का उपयोग किया परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने शब्द भूल गये हैं और उन्होंने उन बस्तियों का अस्तित्व मान लिया है। उनके जैसे विशाल व्यक्तित्व के राजधुरिणों के शब्दों के पीछे कृति का सामर्थ्य सदैव होना चाहिये। किन्तु इस मामले में कुछ नहीं किया गया है।

फ्रान्स तथा पोर्तुगाल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में अमरीका, इंगलिस्तान तथा अन्य देशों के साथ शरीक हैं। यदि किसी भावी जागतिक युद्ध में भारत तटस्थ भी रहा तो भी साम्राज्यवादी देशों के लिये भारत की भूमि पर सामरिक अड्डे मिल ही जाते हैं। यदि हम अपनी तर्क विरुद्ध तथा डगमगाने वाली नीति पर चलते रहे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा।

हमने अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वातन्त्र्य-संग्राम छेड़ दिया उसके परिणामस्वरूप फ्रेंच तथा पोर्तुगीज बस्तियों में भी स्वातन्त्र्य आन्दोलन की लहर दौड़ गई। हम ने उन्हें अपनी स्वातन्त्र्य प्राप्ति के लिये कोई सहायता नहीं दी। पांडीचरी, गोआ, माहे, आदि क्षेत्रों में वहां के देशभक्तों को अपने घरों से बाहर खींच कर मारिशस आदि द्वीपों की जेलों में ठूंस दिया गया।

तटकर द्वारा प्राप्य राजस्व को इन बस्तियों के आस पास बहुत हानि पहुंचती है। इस तरह की शिकायतें बार बार हो रही हैं। चौर्यानियन का निवारण करने के लिये हम कर्मचारियों की नियुक्ति बड़ी सख्या में करनो पड़ रही है। इसके परिणामस्वरूप घूसखोरी बढ़ रही है। ये बस्तियां पड़ौस के लोगों के लिये मद्यपान की गुफाएं बन गई हैं। यहां मद्य अनिर्बंध मिलता है तथा विदेशी वस्तुएं भी सस्ती मिलती हैं। अतः यह प्रचार किया जा रहा है कि इन बस्तियों में तो नन्दन-वन का जीवन है और आसपास की भारतीय भूमि में नरक तुल्य अराजक है। बहुत सारे लोग इस प्रचार के शिकार बनते हैं। कुछ समय के बाद वहां की जनता को जागृत करना मुश्किल हो जाएगा।

हमें इन बस्तियों को बहिष्कृत कर देना चाहिये। इनके साथ हमारे जो आर्थिक सम्बन्ध हैं वे सारे तोड़ दिय जाने चाहियें। हमारी रेलगाड़ियों को इन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिये। हमारी सरकार द्वारा वहां जो डाक घर चलाये जाते हैं वे बन्द किये जाने चाहियें। इन बस्तियों में भारत से किसी माल का निर्यात नहीं किया जाना चाहिये। इस तरह भारत स्थित फ्रान्सीसी तथा प्रोर्तुगीज बस्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्य-वाही की जानी चाहिये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : हम स्वातन्त्र्य इस लिये चाहते थे कि हमारे पास दुनिया को देने के लिये एक महान् सांस्कृतिक संदेश था। इस दिशा में हमने क्या किया ?

१९५२–५३ में वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के कार्य का जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है

वह अत्यन्त निराशाजनक है। उसमें कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमें मन्त्री महोदय से विचार विनिमय तथा परामर्श करने का अधिक अवसर मिलना चाहिये।

इस 'गतिशील तटस्थता' का क्या अर्थ है? हमारी विदेश नीति का परिणाम यह हुआ है कि किसी महत्वपूर्ण मामले में हमारा समर्थन करने वाला एक भी मित्र नहीं है। काश्मीर का ही उदाहरण लीजिये। हम संयुक्त राष्ट्र संगठन में एक मामला लेकर गये वहां वास्तविक विषय तो टाल दिया गया और अन्य अप्रासंगिक प्रश्न उठाये गये। इस भ्रामक कार्यवाही का रहस्यभद करने में हमारा प्रचार यन्त्र असफल रहा।

केवल दक्षिण अफ़्रीका तथा पूर्वी अफ़्रीका में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, ब्रह्मदेश, आदि देशों में भी भारतीय उद्गम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें नागरिकता के अधिकार नहीं दिये जाते और हकालने की भी कोशिश की जाती है।

६ म० प०

फिर हम अपनी वैदेशिक नीति को सफल कैसे बता सकते हैं? आप सब लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और किसी को खुश नहीं कर पाते हो। हमें बताया जाता है कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सुधर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्यों और कैसे? हिन्दुओं को बाहर निकालने की साजिशें तो अब भी जारी हैं। मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वी बंगाल में निष्क्राम्य सम्पत्ति की हालत अधिकाधिक बिगड़ रही है।

आप लोग जानते हैं कि हम कौनसी बात निरन्तर कहते रहते हैं। केवल यह कहने से कोई लाभ नहीं कि परिस्थिति सुधर गई हैं हमारे लोग अभी वहां हैं और उन पर अब भी अत्याचार जारी हैं। इस वास्तविकता को देखते हुए हम निश्चिन्त नहीं रह सकते।

मैं केवल बुद्धिमानी से पेश आने की सिफारिश कर रहा हूं। पाकिस्तान के विषय में हमें पारस्परिक नीति का अवलम्बन करना चाहिये। हमारी सारी विदेश नीति भी "सुसंस्कृत स्वाभिमान" के सिद्धान्त के अनुसार होनी चाहिये। हमें केवल भावनाओं तथा आदर्शों से काम नहीं लेना चाहिये।

आज की हमारी नीति का परिणाम यह होता है कि हमें दोनों गटों से लातें खानी पड़ती हैं और हमारा एक भी प्रमाणिक मित्र नहीं है।

हमने सन् १९५१–५२ में ३९७ लाख रुपये खर्च किये। इस वर्ष के आयव्ययक में ५३२ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। सवाल यह है कि क्या भारत के गरीब करदाता को उसके पैसे का मूल्य मिल रहा है? मैं निवेदन करता हूं कि उसका पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है।

मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं संयुक्त राष्ट्र संगठन ने हमारे साथ जो बुरा व्यवहार किया है उसको देखते हुए हमें काश्मीर का मामला उनके हाथों से वापिस ले लेना चाहिये। दुनिया में भारत की हंसी नहीं होनी चाहिये।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद): कल से वैदेशिक नीति पर हमारे विरोधी दल के वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही हैं और उनके भाषणों को और उन के व्याख्यानों को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। उन के व्याख्यानों को सुन कर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके दिमाग की यह कटुता जो हमारे देश की वैदेशिक नीति के प्रति आई है उसका कारण हमारे देश की वैदेशिक नीति को न समझना है। मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति को समझने के

[डा० सुरैश चन्द्र]

लिये यह आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हमारी वैदेशिक नीति, या हमारी स्ट्रगल आज से ५० साल पहले से या आज से २० साल पहले से किस प्रकार चलती रही है। किसी भी देश की वैदेशिक नीति उस की गृह नीति पर निर्भर होती है और उस देश का ऐतिहासिक पृष्ठ चित्र, उसका हिस्टारिकल बैक ग्राउण्ड देखने की आवश्यकता होती है। आज जो हमारे विरोधी दल के भाई इस वैदेशिक नीति को देखते हैं तो मैं समझता हूं कि वह इस बात को नहीं समझते हैं कि आज नहीं सन् १९२१ से इंडियन नैशनल कांग्रेस ने एक वैदेशिक नीति के बारे में अपने मौलिक सिद्धान्त रखे थे। उन सिद्धान्तों को बार बार इंडियन नैशनल कांग्रेस ने दोहराया था और वह उन सिद्धान्तों को अमल रूप में लाई। फिर सन् १९४७ में जयपुर कांग्रेस के बाद से जिन सिद्धान्तों को कांग्रेस ने रखा था, उन्हीं सिद्धान्तों को कांग्रेसी की गवर्नमेंट जब हुकूमत में आई वैदेशिक नीति के रूप में अमल में लाई। शायद, सभापति महोदय, सब को याद होगा कि किस प्रकार जब कभी किसी भी देश के लिये, किसी भी गिरे हुए देश के लिये, कांग्रेस ने और आज के जो हमारे देश के नेता जवाहरलाल नहरू हैं, उन्होंने बार बार उस को उठाने के लिये और उस देश से विदेशी हुकूमत को हटाने के लिये कोशिश की, हमने बराबर उनका साथ दिया।

यह शायद आज से नहीं सन् १९२१ से हमारे सामने है। आज की हमारी वैदेशिक नीति भी इसी तरह से स्वतन्त्रता के संग्राम के इतिहास के साथ चिपकी हुई है और मैं यह कहता हूं कि मौलिक सिद्धान्त जिसे हमने उस वक्त स्वीकार किया था दुनिया के अन्दर शान्ति कायम करना और विश्व में शान्ति करना था ताकि सब देशों के अन्दर स्वतन्त्रता स्थापित हो और हमारा निरन्तर उद्देश्य यही रहा कि हम उन देशों के अन्दर स्वतन्त्रता की लड़ाई को मज़बूत करें और वहां दूसरे देशों द्वारा होने वाले अत्याचारों से उन पीड़ित देशों को मुक्त करने का ध्येय सदा हमने अपने सामने रक्खा। दूसरे कोलोनिअलिज्म के खिलाफ हमने सदा अपनी आवाज बुलन्द की। इसके अलावा कांग्रेस ने सदा एन्टी रेशिअलिज्म के नारे को दुहराया है।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि किसी भी वैदेशिक नीति की कसौटी वैदेशिक नीति की सफलता की कसौटी इस बात पर है कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट उसका अपना असली हित किस में है। मैं यह नहीं समझता कि आज हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति वही हो सकती है जो कि अमरीका की वैदेशिक नीति हो सकती है। आज हिन्दुस्तान की वैदेशिक नीति वह नहीं हो सकती जो रूस की है। अगर रूस हमारी नीति के खिलाफ कुछ कहे या अमरीका हमारी नीति के खिलाफ कुछ कहे तो वह हमारी नीति की सफलता या असफलता की निशानी नहीं होगी हमारी वैदेशिक नीति की सफलता की निशानी तो यह है कि उस में हमारे देश का हित हो सकता है या नहीं। और मैं समझता हूं कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ और जब से हिन्दुस्तान ने और उसकी अपनी आजाद हुकूमत ने अपनी नीति बर्ती, उस वक्त से हमने सचमुच न सिर्फ अपने रियल इंटरेस्ट के मुताबिक बल्कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को अपने सामने रख कर अपनी वैदेशिक नीति निर्धारित की है और किसी भी देश की वैदेशिक नीति उस देश के असली हितों की रक्षा करने का एक साधन होती है और जैसा कि मैंने कभी आपके सामने कहा अपने हितों की रक्षा करने के लिये आवश्यकता इस

बात की होती है कि देश में पूर्ण शान्ति हो और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री ने जब से उन्होंने यह पद सम्हाला है, जब से कांग्रेस की हुकूमत आयी है उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि हमारे देश में शान्ति हो, चाहे वह पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध के सिलसिले में हो और चाहे वह अमरीका, फ्रांस व रूस आदि से हमारे सम्बन्ध के सिलसिले में हो, चाहे किसी भी विदेश से हमारे सम्बन्ध के सिलसिले में हो, हमें उनमें शान्ति को आगे बढ़ाना है, और दुनिया में शान्ति रखने के साथ साथ हमने किसी भी ब्लाक के साथ नॉन एलाइनमेंट का अपना उसूल रक्खा है और हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान ने हमेशा इस नॉन एलाइनमेंट की पालिसी पर अमल किया है और अपने को किसी भी गुट से अलग रक्खा है। और आपने देखा कि जब पैसिफिक पैक्ट बनने को हुआ तो हिन्दुस्तान ने उसका घोर विरोध किया। इसी पैक्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों का एक गुट बनाने की चर्चा हुई और उसमें इंगलैण्ड व अमरीका सब मुल्कों ने मिल कर कोशिश की कि हिन्दुस्तान भी उन पैक्ट्स के अन्दर शामिल हो जाय। लेकिन हिन्दुस्तान ने उनके खिलाफ बड़े ज़ोर से बहस की और उसके विरोध में अपनी आवाज उठायी और किसी भी पैक्ट में शामिल होने से उसने इंकार कर दिया।

प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा कि हमारी वैदेशिक नीति स्वतन्त्र नहीं है और वह इस कारण क्योंकि हम अमरीका आदि दूसरे देशों से सहायता लेते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वह रूस के इतिहास से तो ज़रूर वाकिफ ही होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या रूस ने सन् १९१७ के बाद किसी विदेश से सहायता नहीं ली, क्या वह इससे इन्कार कर सकते हैं? रूस वालों ने बराबर दूसरे देशों की सहायता प्राप्त की है, चाहे धन के रूप में न ली हो, लेकिन उन्होंने दूसरे रूप में सहायता ली है, इंजीनियर्स के रूप में, टेकनीशियन्स के रूप में, डैम्स बनाने आदि के कार्य में उन्होंने दूसरे देशों ब्रिटेन आदि से सहायता ली है। अगर हम आज अमरीका से सहायता लेते हैं तो क्या हम इस कारण अमरीका से बंध जाते हैं और मैं तो आपको अमरीकन एम्बैसी के एक बड़े आदमी ने जो मुझ से कहा वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्हों ने कहा कि आपकी वैदेशिक नीति हमारे साथ बिल्कुल नहीं है और आप लोग तो रूस व चीन की तरफ झुकते हैं, उनका साथ देते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि अब मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों की बात मानू या एक अमरीकी विदेश विभाग के व्यक्ति की जो कहते हैं कि आपकी वैदेशिक नीति चीन और रूस के साथ है। क्योंकि हम हमेशा यूनाइटेड नेशन्स में चीन के हक में आवाज उठाते रहते हैं और जब कभी हम महसूस करते हैं कि रूस शान्ति के लिये आगे बढ़ा है, वहां हम रूस के पक्ष में भी आवाज़ उठाते हैं।

इसके अलावा कोरिया के बारे में जो हमारे दोस्त श्री पुन्नूस ने कहा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कोरिया के बारे में अगर आप यूनाइटेड नेशनस के इतिहास को देखें, शुरू से लेकर आज तक का इतिहास तो आप पायेंगे कि हिन्दुस्तान ने अरब एशियाई के साथ चार प्रस्ताव पेश किये, जिनमें दो प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन्स ने पास किये और उन में से दो प्रस्ताव रद्द हो गये, जो आखिरी प्रस्ताव था उस को छोड़ कर दो प्रस्ताव रद्द हो गये, इस लिये यह कह देना कि यह हमने कोरिया में समझौता कराने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया, गलत है। हमने हमेशा यूनाइटेड नेशन्स में शान्ति लाने के लिये अपनी आवाज उठाई और एक स्वतन्त्र देश की स्वतन्त्र नीति को सामने रख कर अपनी आवाज़ उठाई है।

[डा० सुरेश चन्द्र]

मुझ से पहले श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा कि हमारे डेलीगेशन्स बाहर जाते हैं किन्तु इन सब के बावजूद भी भारत का सम्मान और प्रतिष्ठा विश्व में नहीं है। मैं श्री चटर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कभी हाल में विदेश में गये हैं और क्या उन्हें मालूम नहीं है, कि आज हिन्दुस्तान की प्रेस्टिज दूसरे मुल्कों की निगाहों में कितनी बढ़ गयी है। डाक्टर मुकर्जी ने भी कहा कि आज हिन्दुस्तान की प्रेस्टिज नहीं है। और डाक्टर खरे साहब ने बड़े मजाक के तौर पर कहा कि आज मुमकिन है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम शायद दुनिया में बढ़ गया हो लेकिन हिन्दुस्तान का प्रेस्टिज नहीं बढ़ा है। आखिर क्या नादानी की बात वह कहते हैं। अगर आज जवाहरलाल नेहरू का नाम दुनिया में बढ़ा है तो मैं कहूंगा कि हर एक हिन्दुस्तानी का नाम बढ़ा है। अगर आज जवाहरलाल नेहरू की पालिसी अच्छी है तो हरेक हिन्दुस्तानी जो भी विदेश में जाता है वह यह महसूस करता है कि इससे हमारे सब की दूसरे लोगों की निगाह में इज्जत बढ़ी है और आज यह उनकी वैदेशिक नीति की सफलता की निशानी है कि विश्व के रंगमंच पर हिन्दुस्तान को विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मैं दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज सचमुच हमारी वैदेशिक नीति और गृह नीति और हमारी एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष नीति के कारण हमारा नाम दुनिया के अन्दर बहुत आगे है ओर नित्य प्रति और आगे बढ़ता जायेगा। अगर हमारे यह साथी भी इस में हमारा साथ देंगे और मैं उन मित्रों से दरखास्त करता हूं कि वे इस में हमारा साथ दें।

एक बात और मैं आप से कहना चाहता यहां पर यह कहा गया है कि हमारा दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध अच्छा नहीं है। यह सर्वथा गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हाल ही में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गये हैं, टर्की में गये हैं, ईरान में गये हैं, मिश्र में गये हैं वे इस बात का सबूत देंगे कि उन सब देशों के साथ हमारा सम्बन्ध पहले से अच्छा है और पाकिस्तान का इन देशों से जो सम्बन्ध है उस से हमारे इन देशों के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त किये देता हूं। अन्त में मैं केवल आपकी सेवा में एक आध सुझाव पेश करना चाहता हूं। एक्सटर्नल पब्लिसिटी के बारे में मैं समझता हूं कि डाक्टर मुकर्जी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल गलत है। हमारी एक्सटर्नल पब्लिसिटी बहुत अच्छी है और यह सन्तोष का विषय है कि हमारे आफिसर्स बहुत अच्छी तरह से उसको निभा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी तरक्की की जरूरत है। आज हमारे जो पब्लिसिटी आफ़िसर्स हैं उनको कुछ कठिनाइयां हैं। एक तो उनकी कठिनाई यह है कि वह परमानेंट नहीं है और उनको एक प्रकार का आप पांच पांच साल का कंट्रैक्ट दे देते हैं जिसके कारण वह अपने को सिक्योर नहीं समझते और इस कारण वह अपना पूरा ध्यान व इनर्जी इस कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनकी सर्विस कंडीशन को ठीक करने का हमें प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि वह एक तरह की परमानेंसी फील कर सकें और जिससे दूसरे अच्छे अच्छे अन्य पत्रकार और जर्नलिस्ट्स आदि भी इन स्थानों पर आने के लिये प्रोत्साहित हों।

इसके अलावा हमारे श्री जयपाल सिंह ने कहा कि हमारी फारेन सर्विसेज में बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी का प्रभाव है। यह बिल्कुल गलत बात है। बल्कि हमारी शिकायत

तो उल्टी यह है कि हमारे यहां जो एम्बेसेडोरियल एपाइंटमेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा तर आई० सी० एस० सर्विस के लोग लिये जाते हैं। इसलिये जैसा कि श्री अल्वा ने कहा कि उसके लिये एक पार्लियामेंट की फारेन रिलेशन्स कमेटी स्थापित होनी चाहिये जिस तरह कि अमेरिका में है जो हमारे एम्बेसेडोरियल एम्प्लायमेंट्स को स्क्रुटनाइज कर सकें, जांच कर सकें। इतना कह कर मैं फिर यह कहूंगा कि हमारी फारेन पालिसी की वजह से आज दुनिया में हमारी प्रेस्टिज बढ़ गयी है। और अशोक का जो इस सम्बन्ध में वाक्य था मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्हीं शब्दों को लेकर चले हैं: 'सदैव निर्भय तथा सतर्क'

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा): ब्रिटिश साम्राज्य में परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन किये गये हैं और उस को राष्ट्र मण्डल का सुहावना नाम दिया गया है।

आज राष्ट्र मंडल में दो प्रकार के देश हैं। (१) अतिविकसित और (२) अल्पविकसित। राष्ट्र मंडल का आर्थिक पुराने साम्राज्य जैसा ही कायम है। अल्पविकसित देशों से कच्चा माल लिया जाता है, उसे अतिविकसित देशों में पक्की चीजों में रूपांतरित किया जाता है और फिर वापिस अल्पविकसित देशों में बेचा जाता है। इस प्रकार पुराना ढांचा अब भी कायम है।

राष्ट्र मंडल के साथ रहने में सबसे बड़ी हानि यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में जो भी आर्थिक लहरें उठती हैं उनका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७, १९४९ तथा १९५१ में ब्रिटेन में जो आर्थिक संकट छाये थे उन्हीं की बात लीजिये। उस समय क्या हुआ? हमने देखा कि तत्स्थानीय कालों में हमारे देश में भी भुगतान सन्तुलन का संकट अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुआ। यह देखते हुए हमारे महान् योजनाकारों को गौर करना चाहिये। श्रीमान्, राष्ट्रमंडल यह एक डूबती नैया है। उसे संयुक्त राज्य अमरीका पर अधिकाधिक निर्भर होना पड़ रहा है। हम एक डूबती नैया को, एक गिरते हुए वायुयान को चिपक रहे हैं। क्या यह पागलपन नहीं है? मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे देश के साथ धोखाबाज़ी नहीं है?

इन सब बातों का मतितार्थ यह है कि हम जो योजनायें बनायेंगे अथवा जिस नीति पर चलेंगे उसके लिये संयुक्त राज्य अमरीका ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल के सारे देश तथा विश्व बैंक आदि जैसी जागतिक संस्थाओं की स्वीकृति का विचार करना होगा। इससे अधिक मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा।

अब मैं इज्जत बढ़ने के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। श्री शिवा राव ने हमारी बढ़ती हुई इज्जत की गौरवपूर्ण शब्दों में प्रशंसा की। श्रीमान्, हमारी इज्जत तो सोने के पिंजड़े में बैठे हुए तोते के समान है।

एक तरफ तो हमारे प्रधान मन्त्री भारत के बढ़ते हुए प्रभाव की बातें करते हैं और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि भारत बहुत दुर्बल होने के कारण जागतिक राजनीति की दिशा बदलने में असमर्थ है।

पंडित नेहरू बार बार कहते हैं कि हम पराधीन जनता के स्वातन्त्र्य के लिये बद्धपरिकर हैं। किन्तु इस नीति को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है? मलाया ब्रिटिशों के जुए को जोता हुआ है, फ्रान्स, हिन्द-चीन में जनता का खन बहा रहा है। एशिया में अन्यत्र भी यही हो रहा है: इन

[श्री चट्टोपाध्याय]

बातों को रोकने के लिये हमारे प्रधान मन्त्री क्या कर रहे हैं ?

अब मैं 'पूर्वग्रह दूषित साहित्य' के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। एक कलाकार के नाते मैं इस प्रश्न को देखता हूं। जब हम अमरीकी तथा अंग्रेजी पूर्वग्रहों के प्रचार को मुक्त द्वार देते हैं तब हमें साम्यवादी साहित्य के साथ विभेदपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिये। अन्यथा यहां जनतन्त्र नहीं रहेगा, केवल उसका विडम्बन रह जाएगा।

हम १७ वर्ष पूर्व के पंडित नेहरू देखना चाहते हैं जिन्होंने हमें साम्राज्यवाद तथा हुकुमशाही का विरोध करना सिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्र ान मन्त्री की काया में १७ वर्ष पूर्व के पंडित नेहरू की तेजस्वी आत्मा प्रवेश करेगी।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा० केसकर) : कल सदन में विरोधी दल वाले मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी ने जो वक्तव्य दिया था उसे दुरुस्त करने के लिये मैं इस चर्चा में हस्तक्षेप कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि शान्ति कार्य से सम्बन्धित एक चलचित्र तटकर अधिकारियों ने रोक लिया। पूछताछ करने पर मुझे पता चला है कि तटकर अधिकारियों द्वारा किसी चलचित्र पर बन्दी नहीं लगाई गई है। "शान्ति का मार्ग" नामक एक चलचित्र सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर को निर्दिष्ट किया गया था किन्तु उसमें कीटाणु, युद्ध, कोजे युद्ध बन्दी शिविर पर बमबारी, अणु बम विस्फोट, यरोपियन सेना की नाज़ी सेना के साथ तुलना, आदि बातें दिखाई गई थीं। सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर की यह नीति है किसी राष्ट्र अथवा गुट की अवहेलना करने वाले चलचित्र को प्रमाणपत्र न दिया जाय। इस नीति के अनुसार उन्हें प्रमाणपत्र देने से इंकार करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति बोर्ड के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह सरकार से अपील कर सकता है। विरोधी दल के माननीय सदस्य द्वारा अपील किये जाने पर मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सदैव माननीय प्रधान मन्त्री की विदेश नीति का समर्थन करता आया हूं। विरोधी दल के सदस्य विदेशी सहायता ली जाने पर सरकार की कड़ी आलोचना करते रहते हैं। मुझे मालूम नहीं कि सोवियत रूस के राज्य योजना आयोग के उपसभापति श्री जी० टी० ग्रिको का लिखा हुआ पुस्तक मेरे साम्यवादी भाइयों ने पढ़ा है या नहीं। उस पुस्तक में सोवियत रूस द्वारा अमरीका तथा अन्य देशों से ली गई प्रशिलिपक सहायता का गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है। इसको पढ़ने के बाद मेरे मन में हमारी नीति के औचित्य के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रहा। यदि साम्यवादी गुट का कोई राष्ट्र हमें सहायता देने का प्रस्ताव रखता है, तो हम कभी उसे ठुकरायेंगे नहीं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमारे प्रधान मन्त्री की विदेश नीति वास्तविक और ठीक है और उसने देश के हितों की रक्षा की है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

एक बार दुनिया के नकशे की ओर देखिये। मध्यपूर्व से लेकर हांगकांग तक फैले हुए एशिया के स्थान पर गौर कीजिये। और फिर हमारी विदेश नीति की परीक्षा कीजिये। क्या इस नीति द्वारा हमारे सुसंस्कृत स्वार्थ की रक्षा नहीं होती है ? यदि एशिया

की किसी भूमि पर यूरोपियनों का वर्चस्व रह गया तो उससे हमारे स्वातन्त्र्य को खतरा पहुंचता है ।

मेरी राय में दक्षिण अफ़्रीका से हमारा राजदूत हटा लेने में तथा दक्षिण अफ़्रीका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ लेने में हमने गलती की है । अब वहां के भारतीय उर्द्गम के लोग निराश्रय बन गये हैं । श्रीलंका की समस्या के बारे में भी हमें अधिक सूक्ष्म विचार करना चाहिये । जो भारतीय लोग श्रीलका में काम धंधे के लिये जाते हैं वे अपने परिवार भारत में ही छोड़ कर श्रीलंका से उनके लिये पैसे भेजते रहते हैं । यह न्यायोचित नहीं है । जो लोग वहां नागरिकता के अधिकार चाहते हैं उन्हें वहां सपरिवार बस जाना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: केवल एक ही महीने के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते समय हमने विदेश नीति पर बहस की । अन्य किसी देश की संसद् में विदेश नीति की इतनी चर्चा नहीं होती होगी ।

यह आरोप यथार्थ नहीं है कि हम अपनी विदेश तथा गृह नीति को नित्य शुद्ध समझते हैं । हमें अपनी मर्यादाओं की कल्पना है । जब हम महसूस होता है कि हम गलती कर बैठे हैं तब हम अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य जो साम्यवादी दल के हैं अत्यन्त तितिक्षा के साथ निरन्तर एक ही रट लगाते हैं । विरोधी दल के एक अन्य माननीय सदस्य डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी के लिये तो सारी विदेश नीति पाकिस्तान और आजकल खास कर जम्मू तक ही सीमित है । जो व्यक्ति विदेश नीति की ओर किसी एक अपरिवर्तनीय दृष्टिकोण से देखता है उसका समालोचन सदोष साबित होने की सम्भावना अधिक है ।

माननीय सदस्य श्री जयपालसिंह ने कहा है कि विदेशस्थित दूतावासों में तथा संयुक्तराष्ट्र संगठन में विशिष्ट दल के प्रतिनिधि ही भेजे जाते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी विदेश नीति किसी विशिष्ट दल की नीति नहीं होनी चाहिये । मैं कहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति किसी एक दल की नीति नहीं है, यह राष्ट्र की नीति है, जनसाधारण की आकांक्षाओं के आधार पर बनी है । अगर वैदेशिक नीति ऐसी न हो तो वह देश के लिये हानिकारक होगी । इन सब बातों पर विचार कर वैदेशिक नीति ऐसी बनाई गई है कि चाहे किसी भी भारतीय के हाथ में हो वह वर्तमान परिस्थिति में यही होगी । इसके सिवा कोई दूसरी नीति हो ही नहीं सकती । विरोधी दल वाले भी प्राय: ऐसी ही नीति पर चलेंगे । हां, साम्यवादी सम्भवत: बदल दें ।

संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधिमण्डल भेजते समय दुनिया के सभी देश ऐसा करते हैं कि थोड़े से हेर फेर के साथ प्रति वर्ष उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो पहले से जा रहे हैं । इससे लाभ यह होता है कि वे वहां की बातों से परिचित रहते हैं और तब उनसे देश को अधिक लाभ हो सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् तथा कुछ अन्य सदस्यों ने वैदेशिक नीति के बारे में सदस्यों के साथ परामर्श करने की बात कही । गत वर्ष एक बार मैंने वैसा किया । मुझे आशा है कि ऐसे अधिक मौके आयेंगे ।

प्रो० हीरेन मुकर्जी ने श्री सुभाषचन्द्र बोस के निधन सम्बन्धी विवाद और उनके द्वारा एकत्रित कोष का प्रश्न उठाया है । जहां तक निधन का प्रश्न है, हमने पिछले पांच वर्षों में खब जांच की है । जांच करने के लिये यहां से टोकियो भी आदमी भेजा गया था । हम ने विभिन्न सूत्रों से इस बात की जांच की । हमें उनके निधन पर विश्वास हो गया है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कुछ व्यक्ति तथा कुछ समाचार पत्र इस प्रश्न की बार बार चर्चा छेड़ते हैं और तरह तरह की अफवाएं उठाते है, यह ठीक नहीं है।

जहां तक कोष का प्रश्न है, मैं सन् १९४६ में जब सिंगापुर गया था तब मैंने स्वतः इस मामले में दिलचस्पी ली थी। मैंने वहां लोगों से पता लगाया। ब्रिटिश अधिकारियों—लार्ड मौंटबेटन के जरिये मुझे मालूम हुआ कि वहां उस कोष में लगभग ७०८० हजार रुपये हैं। मैंने सुझाव दिया कि वह रकम वहीं रहने दी जाए और आजाद हिन्द फौज के लोगों की सहायता के काम में लाई जाए। मैंने उस रकम को एक ट्रस्ट के स्वाधीन कर दिया। उस रकम के साथ कुछ जवाहरात भी थे। उस रकम का कुछ भाग आज़ाद हिन्द फौज के लोगों की सहायता में खर्च भी हुआ। बाद में मुझे सुझाया गया कि सिंगापुर स्थित भारतीय विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति के रूप में यह रकम वितरित की जानी चाहिये। मैंने यह सुझाव स्वीकार कर लिया।

डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जम्मू की चर्चा की है और यह भी कहा है कि यदि स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी तो हम सब दलीय मतभेद भुला कर सरकार का साथ देंगे। इस आश्वासन पर मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति ही क्यों आने देते हैं? हम सब मिल कर ऐसा काम क्यों न करें कि वसी स्थिति ही न आने पाए? माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने हमारे वैदेशिक प्रचार—विशेषतः काश्मीर विषयक प्रचार की विफलता पर कड़ी आलोचना की। किन्तु क्या उन्होंने यह भी सोचा है कि वे जो आन्दोलन चलाते हैं वह भी एक प्रचार ही है और उसका विदेशों में हमारे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

माननीय सदस्यों ने वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय द्वारा प्रसृत किये गये प्रतिवेदन का निर्देश किया है और उसे निस्सार बताया है। प्रत्येक मन्त्रालय द्वारा आयव्ययक के समय मोटे आंकड़े तथा रूप रेखा बताने वाले संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रसृत कराने की प्रथा अभी अभी जारी की गई है। इनमें खर्च तथा स्थानों के विषय में मोटी जानकारी दी जाती है। हम इस प्रतिवेदन के द्वारा अपनी वैदेशिक नीति की चर्चा करने का दावा नहीं करते। मैं नहीं समझता कि अन्य किसी देश में भी वैदेशिक नीति का अधिकृत स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाता हो। विरोधी दल के तथा सरकारी दल के भी सदस्य जिस भाषा में अन्य देशों की आलोचना करते हैं उतनी अनिर्बंध भाषा मैं प्रयुक्त नहीं कर सकता। एक ज़माना था जबकि किसी राष्ट्र की तीव्रतम आलोचना 'अमित्रतापूर्ण' कह कर की जाती थी। इसके बाद अगला कदम केवल युद्ध ही हुआ करता था। किन्तु आजकल सारा शौर्य शब्दों में प्रगट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मुझे अत्यन्त खेद है कि इस सदन के एक सदस्य ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में अत्यन्त आपत्ति-जनक शब्द प्रयुक्त किये।

श्री जयपालसिंह ने ब्रह्मदेश का उल्लेख किया। उन्होंने ब्रह्मदेश को ऋण दिये जाने के बारे में कुछ कहा। किन्तु जहां तक मुझे मालूम है, ब्रह्मदेश को इन दिनों कोई ऋण नहीं दिया गया है। ब्रह्मदेश से हमारा सम्बन्ध पहले की अपेक्षा बहुत अधिक अच्छा है। यह तथ्य है कि गत कुछ वर्षों में हमें ब्रह्मदेश के चावल के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ी। किन्तु मुझे उम्मीद है कि इस विषय में उनके साथ शीघ्र ही हम उचित समझौता कर लेंगे।

कुछ लोगों ने श्री लंका के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। यह भाष

मेरी समझ में नहीं आती। श्रीलंका को भारत का डर बना रहता है और यदि हम कड़ाई से पेश आयेंगे तो उसका डर और भी बढ़ जाएगा। मेरी कोशिश सदैव यह रही है कि श्रीलंका के लोगों की मानसिक घबराहट दूर हो। हमने मित्रतापूर्ण शब्दों में किन्तु दृढ़ता के साथ हमारी मांगें उन्हें बतायी हैं। अन्तिमतः यह निश्चय करने का अधिकार प्रत्येक राष्ट्र को होता है कि उसकी नागरिकता किस को दी जाए। किन्तु श्रीलंका में बसे हुए भारतीयों के पीछे बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। श्रीलंका की सरकार अपने अधिकार के आधार पर इस प्रश्न को टाल नहीं सकती और एक या दो लाख लोगों को बेवारस नहीं बना सकती।

एक सदस्य ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ देने की बात कही है। इससे लाभ नहीं, हानि ही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध कड़े शब्दों का उपयोग किया जाय। लेकिन यह एक दम अनुत्तरदायी बात है। आज पाकिस्तान की ओर दृष्टिक्षेप कीजिये। पश्चिम पंजाब में आज क्या हो रहा है? वह चित्र सुख कर नहीं है। मैं उसके बारे में भला बुरा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु यदि हमने उस संकुचित दृष्टिकोण को अंगीकार किया तो हमारा वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हुआ है। हमें पाकिस्तान की सरकार तथा पाकिस्तान की जनता के बीच हमेशा फरक करना चाहिये। पाकिस्तान की जनता अभी तक हमारे देश का ही एक अंग थी और अब सदा के लिये हमारी पड़ौसी है। अतः वहां की किसी अनुचित घटना से उत्तेजित होकर हमें ऐसी नीति नहीं स्वीकार करनी चाहिये जिससे अन्ततोगत्वा सबका नुकसान होगा।

कुछ लोग मुझ से पूछते हैं कि हम ने दक्षिण अफ़्रीका के बारे में क्या किया। यह ठीक है कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैं वहां भी समस्या के निकट भविष्य में हल होने की कोई उम्मीद भी नहीं रखता। दुनिया के देशों के धीरे धीरे दबाव बढ़े बिना वहां की समस्या हल भी नहीं हो सकती। यह दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। दुनिया को इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि वह रंगभेद की नीति में किस के साथ है। मैं स्वीकार करता हूं कि अनेक बड़े राष्ट्र इस समय जिस कानूनी चर्चा के आड़ में छिप रहे हैं उसको देखते हुए मेरे मन में भ्रम निरास की लहर दौड़ती है। यह केवल कुछ हजार भारतीयों का प्रश्न नहीं है अपितु किन्तु उन लाखों अफ़्रीकाइयों का है जिनका उस भूमि पर सबसे ज्यादा अधिकार है। इस विषय में कुछ बड़े राष्ट्रों ने जिस संदिग्ध वृत्ति का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय नहीं है। मैं आम सभाओं में जाकर कड़ी भाषा में उनकी निर्भत्सना नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक जिम्मेवार सरकार का जिम्मेवार सदस्य हूं। मैं नारे नहीं लगा सकता; किन्तु मने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है।

मेरे सहकारी श्री शिवाराव ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का उल्लेख किया। इस संगठन की ओर देखने से कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न छोटे बड़े देश यह समझ बैठे हैं कि उनके उपनिवेशों का रक्षण करने के लिये यह संगठन खड़ा किया गया है। यदि उसका यह उद्देश्य हो तो जो भी व्यक्ति उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहता है वह उक्त संगठन का विरोध करेगा। इन राष्ट्रों को स्वयं अपना संगठन करने का पूरा अधिकार है। किन्तु यदि वे अपने उपनिवेशों को गुलाम रखने के लिये संगठित हो रहे हैं तो यह कहना पड़ेगा कि उन्हें अभी एशिया तथा अफ़्रीका के जनमत का परिचय नहीं हुआ है और वे इतिहासक्रम को पीछे हटाना चाहते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसी संदर्भ में मैं तथाकथित भारतस्थित विदेशी बस्तियों के बारे में की गई आलोचनाओं का भी उत्तर देना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आलोचक क्या चाहते हैं। लड़ाई घोषित करने के सिवा वे कौन सा उपाय बताते हैं? हमने अपनी नीति स्पष्ट तथा दृढ़ भाषा में व्यक्त की है। मैं कहता हूं कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया तो क्या अन्य साम्राज्यों के ये छोटे छोटे टुकड़े टिक सकेंगे?

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं—हमारी नीति पहले से ही स्पष्ट है किन्तु मैं उसमें और एक बात जोड़ना चाहता हूं—कि भारत की नीति के विरुद्ध यदि भारत स्थित किसी विदेशी बस्ती को लड़ाई के कार्रवाई के लिये किसी प्रकार का अड्डा बनाया गया तो भारत सरकार उसे मैत्री विरोधी कार्रवाई समझेगी।

सवाल यह है कि किस तरह से यह समस्या हल की जाए। कुछ दिन के पहले समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि रूसी बम्बारों ने अंग्रेजों के हवाई जहाजों को मार गिराया। मैं इस घटना के न्याय अन्याय की चर्चा नहीं कर रहा हूं। किन्तु यह घटना बहुत गम्भीर है। क्योंकि बहुत से अंग्रेज़ मारे गये। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने रूस के विरुद्ध क्या कदम उठाया? क्या ब्रिटेन ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी? ब्रिटेन ने केवल विरोध-पत्र भेजा। इसी प्रकार रूसी, चीनी, अमरीकी तथा अन्य सरकारें भी विरोध-पत्र भेजती रहती हैं; युद्ध का क्षेत्र नहीं बढ़ातीं। सदस्य बिना सोचे, समझे कह देते हैं कि कड़ा कदम उठाना चाहिये।

प्रो० मुकर्जी ने पुनः एक बार संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव की चर्चा की है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हमारा प्रस्ताव जेनेवा अभिसमय के आधार पर ही तैयार किया गया है। इस विषय में किसी श्रेष्ठ न्यायवेत्ता का निर्णय मानने के लिये मैं कभी भी तैयार था। उक्त प्रस्ताव के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमने अपनी तटस्थ नीति का भंग किया है।

अब मैं राष्ट्र मंडल की सदस्यता के प्रश्न के बारे में कुछ कहूंगा। डा० लंका सुन्दरम् ने लार्ड स्विंटन के भाषण के कुछ अंश पढ़ कर सुनाये। किन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, राष्ट्र मंडल से हमारा सम्बन्ध अन्य सदस्यों से एकदम भिन्न है। ब्रिटिश राजमुकुट से निष्ठा तो दूर ही रही, किन्तु राष्ट्र मंडल से हमारा कोई कानूनी अथवा संविधानिक सम्बन्ध भी नहीं है। हमारे संविधान में इसके सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गई है। परस्पर सहमति से यह सम्बन्ध निर्माण हुआ है। जब हम अथवा वे चाहेंगे तब इसे तोड़ दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध को समझना कुछ कठिन सा है क्योंकि इस के लिये कोई पूर्व दृष्टांत नहीं है। बहुत से लोग केवल भावनात्मक कारणों से राष्ट्र मंडल के विरुद्ध हैं। राष्ट्र मंडल में दक्षिण अफ़्रीका जैसे राष्ट्र समाविष्ट हैं तथा राष्ट्र मंडल के कारण पुराने ब्रिटिश साम्राज्य की याद आती है इसलिये अनेक लोग उसकी घृणा करते हैं।

राष्ट्र मंडल के साथ सम्बन्ध रखने में हम कोई बोझ अथवा उत्तरदायित्व नहीं उठाते हैं। हमारे कवि-सदस्य ने १९४९, १९५१ तथा १९५२ में यहां फैले हुए आर्थिक संकटों का निदश किया। किन्तु राष्ट्र मंडल और आर्थिक सम्बन्ध दो अलग अलग चीज हैं। राष्ट्र मंडल के साथ कोई सम्बन्ध न रहने पर भी आर्थिक सम्बन्ध रह सकता है। और कोई आर्थिक सम्बन्ध होते हुए भी हम राष्ट्र मंडल में रह सकते हैं। हम अपना लाभ

देख कर ही ब्रिटेन के साथ आर्थिक सम्बन्ध रखते हैं और जब देखेंगे कि उससे कोई लाभ नहीं है तब हम उसे तोड़ देंगे। हमें इस बात की पूरी स्वतन्त्रता है कि चाहे जब हम उससे अलग हो सकते हैं। यह आर्थिक सम्बन्ध और राष्ट्र मंडल ये दो अलग अलग बातें हैं। राष्ट्र मंडल एक नये ढंग का संगठन है। मैं चाहता हूं कि एशियाई देशों का भी इस तरह का संगठन हो। इस तरह का संगठन बनाने से हमें कोई रोक नहीं सकता।

दुनिया में हमारे सामने जो विशाल समस्यायें उपस्थित हुई हैं उनका उल्लेख मैंने नहीं किया और न करना भी चाहता हूं। वह विशाल चित्र अति चंचल तथा परिवर्तन-शील है। मैं कह नहीं सकता कि कल क्या होगा। अनेक बार यह होता है कि हम जानते नहीं कि कौनसा कदम उठाना ठीक होगा। दूसरे लोग अधीर होकर गलत कदम उठा लेते हैं और फिर देर तक पछताते हैं। जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि विशिष्ट कदम उठाने से लाभ होगा। तब तक हम कदम उठाते ही नहीं। मुमकिन है कि इसमें शौर्य था नाटकीय वृत्ति का अभाव है किन्तु ऐसी बातों में हम साहस का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हम धीरज तथा बुद्धिमानी से काम लेना चाहते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि से आज की दुनिया में इन्हीं गुणों की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं राष्ट्र मंडल से हट जाने से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव संख्या ११० सदन के सामने रखता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इसके पश्चात **उपाध्यक्ष महोदय** के कहने पर मतविभाजन हुआ। पक्ष में ४९ मत आये और विपक्ष में २७८।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं सारे कटौती प्रस्ताव एक साथ सदन के सामने रखता हूं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के संचित निधि से आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या २२, २३, २४, तथा २५ के शीर्षकों के निमित्त जो व्यय होगा उसके लिये उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखायी गयी अन्यान्य परिमाण तक की राशियां राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, १८ मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

IPD—HS—229 PSD—12-1-54—285